MOTION *RE* ALLEGED USE OF FORCE BY POLICE IN DELHI AGAINST U P MINISTERS

THE DEPUTY CHAIRMAN Now we take up the motion of Shri Rajnarain

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) माननीया, निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हू

"13 दिसम्बर, 1967 को नई दिल्ली मे मजिस्ट्रेट की अदालत के अहाते मे उत्तर प्रदेश राज्य के श्रम तथा उद्योग मत्री, श्री प्रभू नारायण सिह तथा वित्त मत्री, श्री राम स्वरूप वर्मा और कुछ अन्य व्यक्तियो के विरुद्ध पुलिस के कथित बल प्रयोग तथा तत्सम्बन्धी घटनाओ पर विचार किया जाये।"

†[That the use of force by police against Shri Prabhu Narain Singh, Minister of Labour and Industries and Shri Ram Swarup Verma, Minister of Finance of the State of Uttar Pradesh and some others in the premises of the Magistrate's Court in New Delhi on the 13th December, 1967, and the incidents relating thereto, be taken into consideration"]

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। I raise a point of order. महोदया, इस प्रस्ताव मे माननीय सदस्य ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के श्रम तथा उद्योग मत्री, तो मै यह निवेदन करना चाहता हू कि उत्तर प्रदेश राज्य मे अब कोई श्रम तथा उद्योग मत्री कायदे से नही है, कल वहा की विधान-सभा मे जो सरकारी पक्ष का एक विधेयक था वह नामजूर कर दिया गया है और उसके होते हुये वहा कोई जाब्ते की सरकार नही है, जो वहा है वह अर्जपर है, वहा कोई मत्री नही है, तो इसमे अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है, the then Minister of Labour and Industries and the then Finance Minister

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M P. BHARGAVA) in the Chair]

तो मै निवेदन करना चाहता हू कि इस प्रस्ताव मे माननीय सदस्य इस प्रकार का सशोधन ला ते हो तब तो यह इन-आर्डर है नही तो आउट आफ आर्डर है।

†[ ] English translation.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) On a point of order The hon Member from U P. seems to have lost his head and we would like to somehow set it right

श्री राजनारायण श्रीमन्, मै प्वाइट आफ आर्डर का जवाब दे दू।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) नही, आप अपना भाषण शुरू कीजिये। 25 मिनट आपको है।

श्री राजनारायण मै एसा समझता था कि श्री महावीर प्रसाद शुक्ला

SHRI M GOVINDA REDDY (Mysore) On a point of order I do not want to bar the motion of Shri Rajnarain and so I should not be mistaken But I find that in the substantial portion of the motion he speaks not of the arrest of the hon Ministers, nor of the use of force but of "the alleged use of force". If Shri Rajnarain had brought in a motion to discuss the use of force, then it could have been taken into consideration But here it says there has been the allegation that force was used Can we take into consideration any allegation made by anybody?

SHRI BHUPESH GUPTA. Mr Vice-Chairman,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M P BHARGAVA) Let him finish

SHRI M GOVINDA REDDY I have not finished If we were to take up this motion as it is, then we would be establishing a precedent that any allegation made by anybody may be taken into consideration by the House That would be establishing a bad precedent Therefore I think if this motion is to be discussed, Shri Rajnarain may delete the word "alleged" and say only "the use of force"

SHRI BHUPESH GUPTA Mr Vice-Chairman,

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M P BHARGAVA) Order, order I am on my legs Let all hon Members take their seats The motion has been admitted The debate will proceed and Mr Rajnarain will continue his speech

SHRIMATI YASHODA REDDY (Andhra Pradesh) On a point of clarification

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : About what?

SHRIMATI YASHODA REDDY: About the motion.

श्री राजनारायण मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ।

SHRIMATI YASHODA REDDY: पहले पूछने तो दीजिये I want to know from Shri Rajnarain whether he drafted his motion in Hindi and then it was translated into English. If that was so, then Mr. Govinda Reddy should excuse him, because the defect is not that of Shri Rajnarain but that of the Hindi language If Hindi is not as subtle enough and resourceful enough as English then it is the deficiency of Hindi and not that of Shri Rajnarain

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P BHARGAVA): No more. Now, Mr. Rajnarain, at 5 o'clock you will have to stop.

श्री राजनारायण : अब आप जरा हमारी मुसीबत की तरफ ख्याल करें।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) मुसीबत कोई नहीं है।

श्री राजनारायण श्रीमती यशोदा जी हमसे कोई सफाई चाहे और आप कहें कि मैं न दूं तो हमारे साथ यह अन्याय होगा और उनके साथ तो होगा ही।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) कोई अन्याय नहीं होगा। आप आगे बोलिये।

श्री राजनारायण . श्री गोविन्द रेड्डी ने जो बात की मैं उनकी बात के साथ हूं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो ओरिजिनल मूल, प्रस्ताव है उसकी प्रति आप मंगा कर देखें, क्योंकि मैं अपने हाथ से "कथित" लिख ही नहीं सकता। जब मैंने इस प्रस्ताव को पढा तो मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ कि क्यों हमारे सेक्रेटैरियट ने "कथित" शब्द जोड दिया। मैं कैसे "कथित" कह सकता हूँ मैं तो वहां का दृष्टा हूं, मैंने तो देखा है। और मैं यह चाहूंगा कि अगर नियमत सेक्रटैरियट "कथित" शब्द जोडने का हकदार है, जोडता हो, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि उनको "कथित" शब्द जोडना नहीं चाहिये था।

श्रीमन्, अब मैं अपना 25 मिनट वाला भाषण शुरू कर रहा हूं।

श्रीमन्, सर्वप्रथम जो कि आत्माराम की तरह टे टे करने वाले लोग हैं उनके सम्बन्ध में कुछ निवेदन कर देना चाहूंगा, ताकि वे विषय की जानकारी कर लें, अनावश्यक रूप से अपनी बुद्धि का उपहास न करायें, उनमें मैं एक श्री महावीर प्रसाद शुक्ला को भी मानता हूं, यह हमारे साथ विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं और जैसे कि यहां टे टे करते हैं वैसे वहां भी करते थे। श्री प्रभू नारायण सिंह जो श्रम मंत्री थे और हैं, श्री राम स्वरूप वर्मा जी वित्त मंत्री थे और हैं और इसको दुनिया जानती है, जग जानता है लेकिन अगर कोई आखों की रोशनी को खो चुके हों तो मेरा दोष नहीं।

डा० एम० एम० एस० सिद्धू (उत्तर प्रदेश) : फाड्लेटली, अनकास्टीट्यूशनली वहां बैठे हैं।

श्री राजनारायण श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि 12 तारीख को श्री प्रभू नारायण जी। श्री राम स्वरूप वर्मा जी अपने करीब 10 साथियों को ले कर यहां पर प्राइम मिनिस्टर से और सदन के अन्य सम्मानित सदस्यों से मिलने आ रहे थे, जो लोक सभा में भाषा संशोधन विधेयक प्रस्तुत था उसके विरोध में। . . .

यह बहुत ही आसानी से सदन के सम्मानित सदस्यों को जान लेना चाहिये कि यह जो भाषा का संशोधन विधेयक प्रस्तुत है यह कोई मामूली विषय नहीं है। इस विषय पर विशद व्याख्या तो कल होगी मगर थोडे रूप में हम यहां कह देना चाहते हैं कि यह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का जो संग्राम हुआ है उसकी प्रेरणा के विरुद्ध है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मा के विरुद्ध है, राष्ट्रीय सम्मान के विरुद्ध है और राष्ट्रीय गौरव के विरुद्ध। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एक शानदार पार्टी है . . . . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) राजनारायणजी, अपने मोशन पर बोलिये।

श्री राजनारायण उसी पर आ रहा हूं। संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी ने फैसला किया कि जो पापुलर मवमेन्ट, जनतंत्रीय आंदोलन होगा

[श्री राजनारायण]

उसमें मंत्रियों के चरित्र और साधारण कार्यकर्ता के चरित्र में कोई फर्क नहीं होगा। जिस तरह साधारण कार्यकर्ता भाग लेगा उसी तरह मंत्री को भी भाग लेना होगा। श्रीमन्, इस पर काफी बहस हुई। एक जो कचहरी में कभी कभी वकालत करने वाले वकील हैं वह कहते हैं कि मंत्री अगर मंत्री है तो वह कानून कैसे तोड़ सकता है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं : पूरी जानकारी के साथ, पूरी बहस के साथ, हमने अपने मंत्रियों को आदेश किया कि वे यहां आएं और प्रेसीडेन्ट, राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, अन्य मंत्री और संसद के सम्मानित सदस्यों के सामने अपने जज्बे का इज़हार करें। वह यहां पर आए, राष्ट्रपति के वहां भी गए, लोकसभा के अध्यक्ष के पास भी गये, राज्य सभा के सभापति के पास भी आए, इसके बाद वे 7 नम्बर गुरुद्वारा रकाबगंज रोड जहां पूज्य लोहिया जी निवास करते थे, वहां से 2 बजे चले, मैं भी दो बजे चला...

श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : आन् अ पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन। एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री राजनारायण : हमने तीन नारे कहे : अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से मुल्क गुलाम न होगा, हम किसान और मजदूर कर देंगे अंग्रेजी दूर.... (*Interruptions*)

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री राजनारायण : इस समय मैं यील्ड नहीं करूंगा।

श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल : मैं जानना चाहूंगा : वह जो दो मंत्री आए क्या व्यक्तिगत रूप से आए या मिनिस्टर की हैसियत से आए क्योंकि माननीय मित्र श्री राजनारायण ने कहा है कि उन्होंने उन को आदेश दिया था, आज्ञा दी थी। तो वह किस हैसियत से बुलाये गये थे ?

श्री राजनारायण : मैं बहुत ही साफ कहना चाहता हूं कि वहां से जब आए तो मंत्री थे। अखबारों में थोड़ा पढ़ लिये होंगे श्री शुक्ल। यह कचहरी की वकालत न करें। उनके साथ उनका "शैडो" भी था, उनके साथ उनका बिल्ला भी था, जब जेल में गये तो उन्होंने बाकायदा आदेश किया कि हमारी सारी फाइलें यहां आए, उन्होंने टाइपिस्ट को भी बुलाया, उन्होंने अपना आदेश भी डिक्टेट कराया। यह जो बात कह रहे हैं वह मैं समझ रहा हूं मगर वह चपरगटपन इस मामले में चलेगा नहीं। श्रीमन्, मैं इस नतीजे में हूं कि श्री प्रभुनारायणसिंह की गिरफ्तारी धारा 144 के तहत में हो ही नहीं सकती थी, इसलिए मैं 144 का जो रिलेवेन्ट पोर्शन है उसको आपके द्वारा सदन के सम्पानित सदस्यों की जानकारी के लिये पढ़ना चाहता हूं। 144 का सब-क्लाज 131 :

> "An order under this section may be directed to a particular individual or to the public generally when frequenting or visiting a particular place."

श्रीमन्, यह साफ कहा गया है कि 144 का आर्डर पार्टिकुलर इन्डिविजुअल के खिलाफ लागू हो सकता है। श्री प्रभु नारायण सिंह और श्री रामस्वरूप वर्मा पार्टिकुलर इंडिविजअल्स के खिलाफ 144 का आर्डर नहीं था। 144 का आर्डर अच्छी तरह से पढा जाय, वह पब्लिक जनरली है तो प्रभु नारायण सिंह और रामस्वरूप वर्मा ये 'पब्लिक जनरली' नहीं है। वह एक मिनिस्टर हैं, एक मिनिस्टर हैं...

شری اکبر علی خان (آندھرا پردیس) : لیکن انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی۔

†[**श्री अकबर अली खान** (आन्ध्र प्रदेश) : लेकिन उन्होंने कानून की खिलाफवर्जी की।]

श्री राजनारायण : फिर वही कचहरी की वकालत करने लगे। मैं बता रहा हूं 302 का उल्लंघन अगर कोई मंत्री करेगा वह जरूर पकड़ा जायेगा। मैं 144 को बांध रहा हूं, लिमिटेड कर रहा हूं कि 144 का आदेश उल्लंघन करने पर किसी मंत्री को गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता, 144 का आदेश किसी मंत्री पर डाइरेक्ट नहीं हो सकता। यह प्राहिबिट्री आर्डर गवर्नमेंट का है। गवर्मेन्ट मंत्री के खिलाफ आर्डर नहीं कर सकती। मैं केवल 144 की बात कह रहा हूं, और अपराधों के बारे में नहीं कह रहा हूं...

†[ ] Hindi transliteration.

डा० एम० एम० एस० सिद्धू : कोई वह सेन्टर के मंत्री थे ।

श्री राजनारायण : मैं चाहूंगा, हमारे माननीय डाक्टर, जिनको कि मेडिकल की जानकारी है, और कुछ कानून की जानकारी कम है, वे कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद 12 को पढ़े । मैं कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद 12 की जो डेफ्निशन स्टेट की है उसकी लैगुएज को पढ़ देना चाहता हूं—माफ करेंगे यह अंग्रेजी में है :

> "In this Part, unless the context otherwise requires, 'the State' includes the Government and Parliament of India, and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India."

स्टेट के अंदर श्रीमन्, केन्द्र की सरकार आती है, स्टेट के अंदर राज्य की सरकारें आती हैं इसलिये स्टेट का मतलब यहां पर साफ हो गया है ।

श्रीमन्, मैं इसको भी बता देना चाहूंगा कि मोटर व्हीकल्स ऐक्ट के अधीन राज्य सरकार को आपत्तियों का निपटारा करने का एक हक़ है । एक मंत्री ने आपत्ति सुनी, निपटारा किया, सेक्शन 68 बी : मोटर व्हीकल्स एक्ट के अधीन इस पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील हुई कि यहां राज्य सरकार लिखा हुआ है, एक मंत्री राज्य सरकार नहीं है । सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एक मंत्री स्वयं राज्य सरकार है, एक मंत्री भी राज्य सरकार है । जाइन्ट रिस्पान्सिबिलिटी है, संयुक्त जिम्मेदारी है इसलिय यह नहीं कहा जा सकता कि श्री प्रभु नारायण सिह या श्री राम स्वरूप वर्मा यहां राज्य मंत्री नही थे । मैं इस निश्चित मत का हूं कि उनको वहां 144 दफा में गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता था, उन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया । इसलिये श्रीमन्, मुझे मालूम नही हमारे इस प्रस्ताव का भविष्य कहां अंधकार में लटका हुआ है । हमने घर मंत्री के सार्वजनिक चरित्र के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया है, उस प्रस्ताव को यहा आना चाहिये था, हमको अभी तक सूचना भी नहीं मिली कि उस प्रस्ताव पर क्या हमारे चैयरमेन साहब की स्वीकृति हुई या नही हुई मगर क्या आदेश हुआ वह प्रस्ताव हमने दे रखा है और बहुत ही नियमित प्रस्ताव दे रखा है । श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूंगा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध हुई है, गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया । जो लोग राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्राम के सेनानी होंगे और जो कभी 144 की तह में गिरफ्तार हुए होंगे उनको मालूम होगा कि केवल 144 को तोड़ना अपराध नही है, 144 तोड़ने के बाद अगर वहां पर कोई दुर्घटना हुई, वहा पर कोई उत्पात हुआ, तो अपराध होता है । मंत्री मंत्री है, अगर उनके साथ जितने अन्य लोग थे उत्तर प्रदेश की सोशलिस्ट पार्टी के और वहां पर जितने थे दो तीनतीन विपयों के एम०ए० हैं जो यहा के ससद सदस्यों को कई साल तक पढा सकते है उनके हाथ मे न कोई डंडा था, उनके हाथ में न कोई हथियार था, वे सीधे सीधे समद के सदस्यों के पास आ रहे थे, प्रधान मंत्री से मिलने आ रहे थे, और आते समय रास्ते में घर मंत्री श्री चव्हाण की बर्बर, निरंकुश, जंगली पुलिस अधिकारियों ने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके श्रीमन् आपको मालूम होगा, ढाई घंटे तक उन लोगों को थाने में और अदालत में खड़ा रखा गया । मैं भी काग्रेस के राज में 29 बार और एक बार श्री चरणसिह के राज में गिरफ्तार हो चुका हूं, तीस बार गिरफ्तार हुआ हूं । अंग्रेजी राज में जो कुछ हुआ सो हुआ मगर जिस तरह का व्यवहार श्री प्रभु नारायण सिह, राम स्वरूप वर्मा और दस अन्य साथियों के साथ हुआ वैसा व्यवहार हमारे साथ नहीं हुआ । हमने डंडे खाये हैं, हमारे कपड़े फटे हैं, दाढ़ी नोची गई है लेकिन जब अदालत में लाया गया तो अदालत ने सभ्य व्यवहार किया, थाने में गया वहा सभ्य व्यवहार किया गया । मगर यहां पर न मालूम कौन अराजकता है, क्या जंगली पन है, क्या हैवानियत और शैतानियत है । या तो घर मंत्री का आदेश रहा है कि उनकी बेइज्जत किया जाय, उनको हैरास किया जाय, उनको खड़ा किया जाय ।

[श्री राजनारायण]

मैं जब यहा राज्य सभा मे आया तो उस सबध मे 13 तारीख को जो वहा लिखित मे अदालत मे पेश किया था उसके बारे मे बताया था। आपको मालूम होना चहिये किस तरह जेल भेज दिये गये। आदमी मे अगर कोई ईमानदारी हो तो उसको इस बात को मानने मे गुरेज नही होना चाहिये कि सर्वप्रथम उनको "बी" क्लास दिया गया और बाद मे जब राज्य सभा मे सवाल उठा, यहा पर छोटे घर मत्री ने कहा उनको "ए" क्लास दिया गया यहा पर उनको कुरसी न मिलने पर एतराज जाहिर किया गया, सदन के माननीय सदस्यो ने क्षोभ का भाव व्यक्त किया, माननीय त्रिलोकी सिह तथा भूपेश गुप्त जी ने विरोध प्रकट किया और स्वय मैंने कहा कि ऐसे अधिकारियो को सजा होनी चाहिये, ऐसे अधिकारियो की निदा होनी चाहिये, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये जिस अदालत ने सम्मान के साथ व्यवहार नही किया।

तब उस बी क्लास को ए क्लास बना दिया गया और बाद मे यहा मत्री जी की लीपापोती हुई और उस लीपापोती से सत्य को छिपाया नही जा सकता है। बनावट के उसूलो से सत्य को छिपाया नही जा सकता है। तो मेरा कहना यह है कि मै पाच बजे वहा पर गया अदालत मे। अदालत मे जाकर श्री प्रभु नारायण सिह और श्री राम स्वरूप वर्मा जी से पूछा कि आपको जेल मे क्या बी क्लास मिला था। मत्री जी ने तो कहा है कि ए क्लास मिला है। उन्होंने कहा कि सारे अखबार और प्रेस वालो को यह बात मालूम है और हमने मजिस्ट्रेट से यही सुना कि हमको बी क्लास दिया जा रहा है। हमने दरख्वास्त देकर मजिस्ट्रेट से वारट मागा और कहा कि हजर हमे वारेन्ट दिखा दीजिये। जब हम वारेन्ट देखते है तो उसमे बी क्लास लिखा हुआ था और वहा पर कोर्ट की मुहर विद्यमान थी। लेकिन वही बी पर ए बना दिया गया था। किसने बनाया, कब बनाय यह मालम नही, लेकिन उसमे बी की जगह पर ए लिखा हुआ था। शायद जब राज्यसभा मे यह सवाल उठाया गया और रेडियो से यह खबर प्रसारित की गई तब अदालत ने बना दिया होगा। अदालत ने उस समय कुछ नही लिखा। मजिस्ट्रेट ने यह नही लिखा कि हमारा लिखना गलत है या सही है। इससे यह साबित होता है कि अदालत अपराधी है, दोषी है और उसने फोरजरी, जालबट्टा किया और इस तरह से बी की जगह पर ए कर दिया अपने कुकर्मो को छिपाने के लिए। हमने वहा से आकर इस बात की चर्चा की कि इस तरह की कार्यवाही मजिस्ट्रेट ने कर दी है। ज्यो ही हमने यह बात सदन मे कही तो सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय के श्री चन्द्रशेखर ने हमसे आकर कहा कि वहा पर लोगो पर मार हो रही है। श्री प्रभु नारायण जी और राम स्वरूप जी को घसीटा जा रहा है और आप जल्दी चलिये। राम सेवक यादव भी खबर मिलते ही वही पर पहुच गये। हमने उनसे कहा कि आप यह क्या कह रहे है। हम नोटिस रूम मे बैठे हुए थे और हमने उनसे कहा कि आप क्या कोई सपना तो नही देख रहे है, बडबडा तो नही रहे है। इस युग मे, स्वतत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद अदालत मे लोगो को घसीटा जाय, मारा जाय, यह क्या बात मै सुन रहा हू। वह बेचारे खडे थे और कह रहे थे कि आप माने या न माने, मै आपको सत्य बात बतला रहा हू। वे हमारे साथ चले और हमे श्री रामगोपाल शालवाले मिल गये और हमने एक टैक्सी ली और रवाना हुए। जब हम पहुचे तो यह देखते है कि जितने भी लोग है वे सडक पर लेटे हुए है, पडे हुए है और बैठे हुए है। हमने श्री प्रभु नारायण जी का बयान लिया और जितने वहा पर अखबार वाले थे और लोग थे, उन सब मे पूछा और उन सब लोगो ने एक मत से कहा कि हा इन लोगो को घसीटा गया। इन लोगो के कपडे फटे हुए थे। श्री राम सिह गुप्त जो सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मत्री है, उनका कुर्ता फटा हुआ था, उनकी सदरी फटी हुई थी। हमने एक पुलिस आफिसर को बुलाया और उससे पूछा कि आप इस बारे मे क्या जानते हो, तो उसने कहा कि मै इस बारे मे कुछ नही जानता हू। फिर भी हमने सारी बातो की जानकारी की और वह इस प्रकार से है। सवा पाच बज

चुके थे और साढे पाच बजने वाले थे और अदालत मे 12 आदमी थे । उनमे से पाचो के बयान हो चुके थे, लेकिन प्रासक्यूशन की एक की भी गवाही नही हुई थी । सवा पाच बजे श्री प्रभु नारायण जी ने कहा कि सवा पाच बज गये है और अब काफी देरी हो गई है और कोर्ट का समय व्यतीत हो चुका है । हम लोगों को नित्य का कर्म करना है । और जेल मे जाना है । इसलिए कृपया कल के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दीजिये और हम लोगो को जेल भेज दीजिये । श्री प्रभुनारायण जी और श्री रामस्वरूप जी की जो यह माग थी वह अनुचित माग नही थी । पाच बजे के बाद कोर्ट का काम कभी नही चलता है । जब हम जेल मे थे तो कोर्ट से हमको साढे चार बजे ही जेल भेज दिया जाता था क्योकि बारिके बद हो जाती थी और जेल बद हो जाते थे । वहा पर खाना नियम के अनुसार मिलता है । इसलिए नित्य के कर्म करने के लिए उनको जल्दी जाना जरूरी था । इसलिए उन्होने अदालत को ख्याल दिलाया कि साढे पाच बज चुके है, 12 मे से केवल पाच आदमियो के ही बयान हुए है, सातो के बाकी है और रात भी बीत जायेगी तब भी इन लोगो के बयान नही हो सकेगे । इसलिए आप कल तक के लिए अदालत को स्थगित कर दीजिये । मजिस्ट्रेट ने इन लोगो की जायज, सामयिक और कानूनी माग को सुनने से इकार कर दिया । श्री प्रभु नारायण जी, श्री राम स्वरूप जी और उनके साथी यह कहते हुए अदालत से चले गये कि हम जेल मे जा रहे है और इस तरह से वे बाहर बारन्डे मे चले गये , मजिस्ट्रेट ने कहा कि इनको पकड लाओ और हरगिज बारन्डे मे खडा मत होने दो और इनको अदालत के सामने लाओ । अब पुलिस के जवान अदालत के सामने घसीटकर लाते है और अदालत मे खडा करते है । मै मत्री जी से जानता चाहता हू कि वे बात बनाकर इस तरह की बाते न करे क्योकि आज सत्य कसौटी पर है, ईमान कसौटी पर है, व्यक्ति की गरिमा और महिमा कसौटी पर है और सारा समाज आज उसको देखना चाहता है कि यह सरकार किस हद तक गलत बयानी कर सकती है । इसलिए मै कहना चाहता हू कि आप गलत बयानी मत करिये । श्री प्रभु नारायण जी और श्री राम स्वरूप जी तथा उनके साथियो को बलपूर्वक अदालत के कमरे मे घसीटकर क्या नही लाया गया ? क्या मजिस्ट्रेट ने नही कहा कि उनको बरामदे से भीतर लाओ ? सात आदमियो के बयान नही लिये गये थे और यह दुनिया मे एक अनहोनी बात है । भारतीय जनतत्र मे डा० सिद्धू सात आदमियो के बयान नही लिये गये और बिना बयान उनको सजा सुना दी गई । मै यह जानना चाहता हू कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यह कहा पर लिखा हुआ है कि बिना एक्यूज्ड के बयान लिये उसको सजा दी जाय ?

डा० एम० एम० एस० सिद्धू सेशन मे जाइये ।

श्री राजनारायण : सेशन मे जाने की बात मत कहिये । अब हम सडको पर जायेगे, खेतों पर जायेगे, कल कारखानो और गलियो पर जायेगे ।

डा० एम० एम० एस० सिद्धू : सेशन मे जाइये ।

श्री राजनारायण : सेशन मे चौहान साहब जायेगे । मै यह कहना चाहता हू कि जो सरकार स्वय कानून तोडती है, मनमाने ढग से कार्यवाही करती है, उसके लिए कोर्ट मे जाने से काम नही चलेगा । इसलिए मै कहना चाहता हू कि कोर्ट मे जाने से काम नही चलेगा । हमारी कोर्ट यह है और उसके बाद जनता जनार्दन है ।

श्रीमन्, मजिस्ट्रेट ने केवल एक काम किया और वह यह किया कि उसने टिल राइजिग आफ दी कोर्ट, यानी अदालत उठने तक की उनको सजा सुना दी । अब देखा जाय । सात आदमियोके बयान नही हुए, प्रासक्यूशन की कोई गवाही नही हुई और किसी ने अपना अपराध नही कबला और फिर भी मजिस्ट्रेट ने सजा सुना दी मजिस्ट्रेट सजा सुनाकर भाग गया । क्या यही उनका दोष है जिसकी वजेह से उनको इस तरह की सजा दी गई ? हम लोगो ने अग्रेजी राज्य को इसीलिए ध्वश किया था इसीलिए गिराया था कि हमारे सम्मानित नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार किया

जायेगा जिन्होंने स्वतन्त्रता की लडाई मे अपनी आहुति दी थी । क्या आज इन लोगो के साथ इस तरह का बर्बर और जगली व्यवहार किया जायेगा ?

इसके बाद हम श्री चौहान साहब के पास आते है और वे कैबिनेट की एक सब कमेटी की मीटिग पर बैठे हुए थे । वहा पर श्री अशोक मेहता और श्री जगजीवन राम जी भी विराजमान थे । हमने चौहान साहब से कहा चलिये और वहा की स्थिति को देखिये । चौहान साहब ने कहा कि मै बडी मुसीबत मे हू । आप हमारा सदेश कह दीजिये और उनको मनाकर ले आइये । हमने कहा, ठीक है, आप इस तरह का एक पत्र उन को लिख दीजिये । उन्होने पत्र लिखा और हमसे कहा कि श्री प्रभु नारायण जी और दूसरे लोगो को वहा से ले आइये । मै आप लोगो से कल स्वय मिलूगा और सारी बात की जानकारी करूगा । यह सही है कि श्री चौहान साहब हमारे निवास 95, साउथ एवेन्यू मे आये और श्री प्रभु नारायण जी और श्री रामस्वरूप जी से एक घटे तक जानकारी हासिल की । मगर उस जानकारी का नतीजा क्या हुआ ? आज चौहान साहब यहा पर नही है और बेचारे छोटे मत्री जी को यहा पर भेज दिया है । उन्हे सेक्रेटरिएट के आफिसर जो लिखकर दे देगे, पुलिस के आफिसर जो चीज लिखकर दे देगे, वे बेचारे पढ देगे लेकिन उन्हे इन पेचीदगियो के बारे मे जानकारी नही है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : चौहान साहब जवाब देगे ।

श्री बी० डी० खोबरागडे (महाराष्ट्र) : श्री चौहान साहब ने वहा पर क्या जवाब दिया ?

श्री राजनारायण : वहा पर चौहान साहब ने कहा कि मैने यह बात सुन ली है । मै अब पुलिस और मैजिस्ट्रेट से जानकारी करूगा कि उनको क्या कहना है । मै यह कहना चाहता हू कि ये जो मत्री थे वे जिम्मेदार लोग है और आठ नौ करोड जनता का प्रतिनिधित्व करते है । आज उनके साथ इस तरह से हैवानियत का व्यवहार किया गया । इस चीज को चौहान साहब को देखना चाहिये कि क्या उन्होने किसी मैजिस्ट्रेट को इस बारे मे मुअत्तल किया, किसी पुलिस आफिसर को हटाया । उन्होने इस तरह की बात अब तक नही की । जनतत्र के लिए एक जनतत्री आचरण होता है और जनतत्री व्यवहार होता है । इस पर हम से कहा जाता है कि सभ्य और सुरुचि और डिसेन्सी और डिकोरम को मेन्टेन कीजिये । क्या हम इस डिसेन्सी मे डन्डे खाय और आप लोग यहा पर बैठकर हसे ? क्या आप लोगो की यही डिसेन्सी है कि लोगो के कपडे फाड दिये जाय । (*Interruptions*) श्री धारिया जी काग्रेस पार्टी के सदस्य है और काग्रेस के लालच मे आकर इस हद तक आ गये है कि वे इस तरह की बाते करते है । (*Interruptions*) इसलिए मै आप से कहना चाहता हू कि आज हमारी एक कौए की जैसी हैसियत नही रह गई है । कौआ एक जानवर होता है । (**हंसी**) । कौआ एक चिडिया होता है और मै आपको कौए के बारे मे कहना चाहता हूं । आज मै चाहता हू कि सदन के सम्मानित सदस्य और देश की जनता से कहना चाहता हू कि जब एक कौआ मर जाता है तो सब कौए काव काव करते हुए उसको चारो तरफ से घेर लेते है और हल्ला मचाने लगते है ।

'खोल कठ मानव तू, कठ जरा खोल ''

श्री धारिया जी से मै कहना चाहता हू कि इस तरह से काव काव की बात अब नही चलेगी । मै देश की जनता और विद्यार्थियो से कहना चाहता हू कि इस काग्रेस की अब रावणशाही नही चलने दी जायेगी क्योकि अगर काग्रेस शासन रहता है तो जनतत्र की परम्परा नष्ट होती है, जनता की इज्जत नष्ट होती है, मानव का सम्मान नष्ट होता है और भारत की स्वतत्रता कलकित होती है । इसलिए मै आपके जरिये इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हू । (*Interruptions*) हमारे

5 P M.

मित्र जो इलाहाबाद से आते है, इनको हमने उत्तर प्रदेश की विधान सभा मे अक्सर समझाने की कोशिश की । मगर यह वहा भी नही समझे और यहा भी नही समझे । काहे मुरगा की तरह टाय-टाय बोलते हो, काव-काव बोलो ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : राजनारायण जी, पांच बज गये ।

श्री राजनारायण : इन शब्दों के साथ मैं अंत में यह मांग करूंगा कि मंत्री जी सत्य पर पर्दा डालने का दुष्प्रयास न करें । काफी सत्य प्रकाश में आ चुका है । यह सभा है जिस का अर्थ होता है जहां सत्य का प्रकाश हो । तो निश्चित रूप से उस पुलिस कप्तान को मुअत्तल किया जाय और निश्चित रूप से उस मैजिस्ट्रेट को मुअत्तल किया जाय जिसकी इतनी हिम्मत हुई । मैंने कल अखबार में पढ़ा कि उस मैजिस्ट्रेट ने प्रभुनारायण सिंह जी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है कि प्रभुनारायण सिंह ने हमको धक्का दिया । इतना झूठ, इतना गलत, इतना निराधार उस मैजिस्ट्रेट को कहने की हिम्मत है और वह जा कर के अपना मुकदमा दायर करता है । प्रभुनारायण सिंह जी को घसीट कर लाया गया और फैसला सुना कर अदालत उठ गई और वह मैजिस्ट्रेट चला गया . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : राजनारायण जी, आप बहुत बोल चुके हैं, अब बन्द कीजिये ।

श्री राजनारायण : वह मैजिस्ट्रेट झूठा मुकदमा बना रहा है जो अपने अधिकारों की सीमा को नहीं जानता है । तो जो सरकार यह न समझ पाती हो कि मंत्रियों के साथ कैसा व्यवहार हो उस सरकार का जितनी जल्दी पतन हो उतना अच्छा है और सरकार के ऐसे अधिकारियों का जितना जल्दी विनाश हो उतना ही अच्छा है और उसमें हमारे देश में जनतंत्र का पक्ष बलवान होगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं ।

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is :

"That the alleged use of force by police . . ."

श्री राजनारायण : श्रीमन्, "अलेज्ड" हटा दीजिये । यह हमारे प्रस्ताव में नहीं है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is :

"That the use of force by police against Shri Prabhu Narain Singh, Minister of Labour and Industries and Shri Ram Swarup Verma, Minister of Finance, of the State of Uttar Pradesh and some others in the premises of the Magistrate's Court in New Delhi on the 13th December, 1967, and the incidents relating thereto, be taken into consideration."

There are two amendments. They may be moved.

SHRI M. P. SHUKLA : I am moving my amendment.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA (Bihar) : I want Mr. Shukla's amendment to be read.

श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल : महोदय, मैं यह संशोधन मूव करना चाहता हूं :

1. "That at the end of the Motion, the following be added, namely :

'and having considered the same, this House is of opinion that all Ministers should pay due regard to law and that in no case should any Minister defy the law'."

(*The amendment also stood in the names of Shri R. T. Parthasarathy, Shri T. Chengalvaroyan and Shri A. D. Mani.*)

SHRI BHUPESH GUPTA : I shall read it out because it has not been circulated. My amendment reads as follows :—

2. "That at the end of the Motion, the following be added, namely :

'and having considered the same, this House deplores the action of the police and other authorities, and recommends that all officers guilty of maltreating the Ministers be removed from service forthwith, and further that the Home Minister tenders unconditional apology to the House."

The questions were proposed.

SHRI R. T. PARTHASARATHY (Madras) : The amendment is out of order. That is my submission.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : No. I would request hon. Members to be brief, not to exceed their remarks beyond ten minutes, and keep to the time. Mr. Triloki Singh.

श्री त्रिलोकी सिंह (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, हमारे देश मे जो कानून लागू है उसमे सघ की व्यवस्था है और जितने भी मंत्री है चाहे व केन्द्र के हों, चाहे वे किसी राज्य के हो, उनको कुछ सहूलियते है जो सहूलियते उनके इलाके मे ही नही बल्कि उनके इलाके के बाहर भी उनको हासिल है । यह बात सर्वमान्य है कि यह जा दो उत्तर प्रदेश के मत्री इस बात का इरादा कर के दिल्ली पधारे कि दफ़ा 144 यहा लागू है उसको तोडेगे, यह बात न पुलिस से छिपी हुई थी, न भारत की सरकार से छिपी हुई थी । यह बात भी इनको मालूम थी कि जब कोई कानून का उल्लंघन करता है तो दो ही रास्ते है, या उसको गिरफ्तार किया जाय या उसकी चश्म-पोशी की जाय यानी टाल दिया जाय । पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया इस बारे मे मान्यवर, मुझे कुछ नही कहना है । मैजिस्ट्रेट ने उन्हे सज़ा दी इस बारे मे भी मान्यवर, मुझे कुछ नही कहना है । मगर उन्हे कानून तोड़ना चाहिये या नही तोडना चाहिये, यह बात विवादग्रस्त है, इसमे दो राये हो सकती है । मेरी अपनी भी एक राय है कि वे लोग जो सरकार चलाने के ज़िम्मेदार हैं, उनको अपने क्षेत्र मे ही सीमित रहना चाहिये, कानून का उल्लघन नही करना चाहिये, बल्कि दूसरे राज्य मे जा कर के ऐसी स्थिति नही पैदा करना चाहिये जहा कानून के उल्लघन करने का मामला उनके खिलाफ चले । ले किन मान्यवर, यह बात मान ली जाय कि वहां के मत्रियो ने कानून का उल्लघन करना मुनासिब समझा तो यह बात भी हम को देखनी पड़ेगी कि जब ऐसे प्रमुख लोग जिन की कुछ प्रिविलिजेज है, जिन की कुछ सहूलियते है, वे दिल्ली आये तो पुलिस को किस प्रकार का आचरण उनके साथ करना चाहिये । यह बात मान्यवर, निर्विवाद है कि उनको गिरफ्तार करने के बाद लगभग ढाई घटा हवालात मे रखा गया, पुलिस की हवालात मे रखा गया, जुडीशियल कस्टडी यानी जेल मे नही भेजा गया । दफा 144 का उल्लघन करने का तजुर्बा इधर और उधर के अनेक सदस्यो को एक बार नही अनेक बार हो चुका है और उनको यह बात अच्छी तरह मालूम है कि जब कभी 144 का उल्लंघन इस प्रकार किया गया चाहे अग्रेजी राज्य में, चाहे अंग्रेजी राज्य के बाद स्वराज्य होने पर, उनके साथ वह सलूक नही किया गया जो मामूली एक मुजरिम या अभियुक्त के साथ किया जाता है । यहा, इस बात को हम नही भूल सकते जो उनको ढाई घटे खडा रखा गया और दिल्ली की पुलिस ने यह जो अपनी कारगुजारी का इज़हार किया है, यह जो कार्य किया, इसकी जितनी निन्दा की जाय वह कम है ।

दूसरी घटना दुखदाई यह है कि उनका मुकदमा यहा अदालत में चला । अगर यह मुकदमा जेल मे चला होता तो यह नौबत ही नही आती जो खीचा-खाची बाद में हुई या पाच बज गया या साढे पाच बज गया । लेकिन पुलिस ने यह मुनासिब समझा कि उनका मुकदमा अदालत मे चलाया जाय । पाच बजे जब अदालत का समय हो गया था और मान्यवर, यह सभी को मालूम है कि वे बन्दी जो जेल मे बन्द किये जाते है, वहा जेल के बन्द होने का समय चिराग जले के पहले है, यानी दिल्ली शहर मे जेल की बन्दी पौने छः बजे हो जाती है और पांच बजे और पौने छः बजे के बीच में उनकी गिनती हो, वे मोटर पर बिठलाये जायें, फिर सवारी पर वहां पहुंच जाय, फिर दिसा जंगल से फारिग हो कर कुछ भोजन करें और अन्दर बन्द हो जायं, इसमें कुछ समय लगेगा । मैजिस्ट्रेट साहब के बारे में मुझे कुछ नही कहना है, लेकिन उनका यह कहना कि नही हम मुकदमा जितनी देर चाहे चलायेगे, यह बात कुछ मुनासिब नही थी । ठीक है, तस्लीम किया, माना कि प्रभुनारायण सिह इत्यादि मैजिस्ट्रेट के इस कहने के बाद अदालत के कमरे के बाहर चले । तो बाहर कहा के लिए चले ? जेल के लिए चले, लखनऊ भागने के लिए नहीं चले थे, कोई ऐसा नही था कि जंजीर तुडा कर एक-दो-तीन हो जाएंगे बल्कि इसलिए चले कि हमारी सवारी खडी है, हमको जेल पहुचा दे । फिर भी, अगर कोई आदमी ऐसी गलती करता है तो पुलिस का एक कोड है, पुलिस की अपनी लाज है, पुलिस की अपनी मर्यादा है । एक गैर-सरकारी नागरिक

को कानून का उल्लघन करने का अधिकार कुछ हालतो मे हो सकता है, जिन हालात में महात्मा गांधी ने भी अपने हुक्म से, अपनी सलाह से, अपने आचरण से हिन्दुस्तान मे ही नही सारी दुनिया में चालू कर दिया है, लेकिन अगर, मान्यवर, मंत्रियो पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे मंत्री होने के बाद कानून का उल्लंघन नही कर सकते तो ये पुलिस के कर्मचारी जो पुलिस कोड से पाबन्द हैं, जो तनख्वाह पाते है, जिनकी सर्विस बुक है और कन्डक्ट है, उनको कानून का उल्लंघन करने का अधिकार नही होता है और अगर होता है तो मिनिस्टर से ज्यादा वे अपराधी है । क्या करते हैं, लपक कर पकड़ते हैं, छीना-झपटी होती है, कुछ मारपीट भी हो जाती है । यह क्या है? यह 1967 का अन्त है । 20 साल से ज्यादा हमको स्वतंत्र हुए हो गए । हम कहां जा रहे है, किधर जा रहे हैं । यह प्रभुनारायण सिह का मामला नहीं है, यह एक मत्री का मामला नहीं है, यह एक नागरिक का मामला नही है । मामला यह है कि पुलिस ने, जिसने वर्दी पहन रखी है, जिसने अपने को बाधा है कि कानून और व्यवस्था, लॉ एंड आर्डर को मेन्टेन करेगी वे लॉ एंड आर्डर को मेन्टेन करने वाले लॉ-ब्रेकर नही हो सकते । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस मामले में दिल्ली की पुलिस ने लॉ को ब्रेक किया है । कोई भी प्रस्ताव यहां पास हो, कोई भी प्रस्ताव यहां अस्वीकृत कर दिया जाय । जो श्री भूपेश गुप्त ने तरमीम पेश की है उसके पक्ष में भी नही हूं, जो श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल ने तरमीम पेश की है उसके पक्ष में भी नही हूं । मै चाहूंगा कि सदन से एक स्वर से यह आवाज जाय कि पुलिस ने जो कुछ किया है वह ठीक नही है । अगर श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल की तरमीम को स्वीकार करते है तो वह प्रथा कायम होगी कि ईश्वर जाने हिन्दुस्तान कहां जायगा और किधर जायगा और क्या नतीजे---इसके दो, चार, दस साल बाद आयेंगे । इसलिए मैं नम्रतापूर्वक, मान्यवर, यह निवेदन करूंगा कि हमको ठंडे दिल से इस मामले पर गौर करके पुलिस ने जो कुछ किया है उसकी सर्वसम्मति से निन्दा करनी चाहिए ताकि आइन्दा दिल्ली की पुलिस ही नही, हिन्दुस्तान के किसी जिले या किसी अंचल की पुलिस को यह करने की धृष्टता या साहस न पड़े ।

मान्यवर, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि यह क्यों होता है । संसार के किसी भी देश में सरकार की पुलिस नही है, इंग्लैंड में नही है, फ्रांस में नही है, जर्मनी मे नही है, अमरीका मे नही है; लोकल अथारिटीज़ की पुलिस है । सिविल पुलिस यहां भी शुरू मे जब अंग्रेज़ी राज कायम हुआ तो सरकार की नही थी । जो नामिनेटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपेलिटीज़ थीं उनकी थी और अंग्रेज़ी राज शुरू होने के 50 साल तक अंग्रेज़ी राज की पुलिस के चार्जेज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेट के हेड में डेबिट हुआ करते थे, लेकिन जैसे-जैसे स्वराज्य की गाडी बढ़ी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन्स 1885 में जिला बोर्ड और म्युनिसिपैलिटियां बनीं कि अंग्रेज घबराया और उसने पुलिस को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से निकाल कर एक सरकारी महकमा बना दिया । दुर्भाग्य है कि स्वराज्य होने के बाद हम आज भी पुलिस को सरकार की पुलिस बनाए हुए है । पुलिस स्टेट की यह परिभाषा है कि पुलिस सरकार की हो । अगर यह पुलिस यहा की नगर महापालिका की होती, अगर यह पुलिस नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी की भी होती तो, मान्यवर, मुझे यह पूरी उम्मीद है कि वह इस तरह का निरंकुश और बर्बरता का व्यवहार या कानून के तोड़ने का व्यवहार नही करती जैसा कि उसने इस सिलसिले मे किया । धन्यवाद ।

श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल : उपसभाध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय त्रिलोकी सिह जी ने मंत्रियों के कार्यो की, जिसकी उन्हें निन्दा करनी चाहिए थी, सराहना की (*Interruptions*)। क्षमा करेंगे, मैं सिर्फ इसलिए 'सराहना' कहता हूं कि उन्होंने पुलिस को तो कहा कि वे प्रोटेक्टर आफ लॉ एंड

[श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल]

आर्डर है, लेकिन मत्रियो को यह नही कहा कि व प्रोटेक्शन आफ लॉ एड आर्डर का आदर्श अपने पुलिस अधिकारियो के सामने प्रस्तुत करे । यदि हमारे देश के मत्रिगण---चाहे वे राज्यो के हों या केन्द्र के हो, चाहे किन्ही विचारो के हो---विचारो के मतभेद के कारण डाइरेक्ट एक्शन मे सक्रिय भाग लेगे और कानून का उल्लघन करेगे तो इस देश मे गणतत्र एक दिन, एक क्षण और एक मिनट को भी टिक नही सकता । यह परम्परा हमको माननी पडेगी कि जिन्होने अपने पदग्रहण करने के पहले सविधान की शपथ ली है, सविधान की रक्षा करने की और सविधान के अन्तर्गत जितने भी कानून बने है उनकी रक्षा करने की, वे गवर्नमेट है । अभी राजनारायण जी ने कहा, एक मत्री भी गवर्नमेट है और सारे कानून की रक्षा करने का, अमन और चैन कायम रखने का, देश मे शांति और व्यवस्था कायम रखने का सारा उत्तरदायित्व गवर्नमेट पर है । पुलिस तो गवर्नमेट की एक एजेन्सी है और इसलिए है कि गवर्नमेट कोई एब्स्ट्रेक्ट बॉडी नही होती, इन्ही एजेन्सीज के द्वारा अपने कानून की व्यवस्था कायम रखती है । मान्यवर, हमारे बचपन मे, मुझे स्मरण है, हमारे पिताजी कहा करते थे कि कानून जो है वह काठ का घोडा है और अदालत उस काठ के घोडे का मुह है । मै उनसे पूछता था कि इसका अर्थ क्या हुआ तो वे कहते थे कि कानून नही समझता कोई छोटा है या बडा, कोई मिनिस्टर है या नान-मिनिस्टर, कोई गरीब है या अमीर, वह सबके लिए समान होता है और अदालत उस कानून का सबके लिए समान रूप से वितरण करती है । इसलिए यहा कोई पक्षपात नही होता । यदि दिल्ली की पुलिस ने, दिल्ली के मैजिस्ट्रेट ने कानून की हिफाजत मे इस बात का गौर नही किया कि कानून तोडने वाला मिनिस्टर है या साधारण नागरिक है तो उसने कोई अनुचित काम नही किया, कानून काठ का घोडा है, निष्पक्ष है, उसी के अनुसार काम किया । मान्यवर, मै एक कदम और आगे जाना चाहता हू । यदि कानून की रक्षा करने वाले स्वय कानून का उल्लघन करे तो उनका अपराध साधारण नागरिक से, मेरी विनम्र सम्मति मे, गुरुतर हो जाता है । (*Interruptions*) यदि माननीय श्री भूपेश गुप्त या महाबीर प्रसाद शुक्ल इस ससद के सदस्य होते हुए भी कानून का उल्लघन करे तो उन्हें ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, मेक्सिमम पनिशमेट मिलना चाहिए, अगर हमारे गाव का किसान या मजदूर करे तो उसको कम मिलनी चाहिए, मै इस मत का हू । मै यह जरूर मानता हू कि हर पक्ष के दो पहलू होते है, एक शासनिक पहलू और एक होता है न्यायिक पहलू । न्यायिक पहलू से मत्रियो का कार्य अत्यन्त निन्दनीय है, न्यायिक पहलू से मैजिस्ट्रेट और पुलिस का काम कदापि निन्दनीय नही है । इसका दूसरा शासनिक पहलू है । शासन मे और भी बाते देखी जाती है । वहा मै श्री त्रिलोकी सिह से सहमत हूगा । शासन की दृष्टि से हर कार्य की क्या प्रतिक्रिया जन-मानस पर होगी, हम लॉ एड आर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो काम करेगे उससे लॉ एड आर्डर का और अधिक उल्लघन होगा या प्रतिक्रिया अधिक बढेगी, इसको देखकर कुछ करना चाहिए । उस दृष्टि से मै जरूर इस बात को कहूगा कि दिल्ली मे उनके आने के पहले हमारे दिल्ली के प्रशासन को इस बात पर गौर करना चाहिए था । ऐसा काम जिससे देश मे चिन्गारी लग सकती है उस काम को सम्भल कर करना चाहिए था । साथ ही, मान्यवर, मै इस बात को नही मानता कि मत्रियो के लिए---चाहे वे केन्द्र के हो, चाहे राज्यो के हो---पहले से सुख-सुविधाए है, कानून का उल्लघन करने पर भी वे सुख-सुविधाए बनी रहे । अगर ऐसा हो तो इस देश मे समाजवाद कैसा, इस देश मे गणतत्र कैसा? कानून की नजरो मे पक्षपात करना हमे तुरन्त ही बन्द करना होगा, कानून की नजरो मे कोई बडा-छोटा, कोई मिनिस्टर या नान-मिनिस्टर, कोई अमीर-गरीब जैसे अन्तर रहेगे तो हमारे देश मे न समाजवाद रहेगा, न गणतत्र रहेगा, और न जो समता का भाव है वह रह सकता है । "यद् यदाचरति श्रेष्ठ स्तत्तदेवेतरो जनः" यह हमारा आदर्श रहा है कि श्रेष्ठ लोगो को श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, अनुकरणीय आचरण करना चाहिए, उनके आचरण

से दूसरे लोग गलत काम न करें । यदि मंत्री अपने हाथ में बगावत का झंडा लेकर निकलेंगे, उत्तर प्रदेश का मंत्री दिल्ली में जायगा, दिल्ली का पंजाब में जायगा, पंजाब का बंगाल जायगा तो कितने दिन हमारे देश में गणतंत्र रहेगा, कितने दिन शांति और व्यवस्था रह सकेगी । हरएक मंत्री न केवल अपने यहां मंत्री है, हरएक मंत्री का उत्तरदायित्व है देश-भर में एक आदर्श शांति और व्यवस्था कायम रखने का । मतभेद हो सकता है, मैं मानता हूं । मान्यवर, जिस प्रश्न पर वे मंत्री आए थे उस पर हम में से बहुतों को मतभेद है, बहुतों की वही राय हो सकती है, लेकिन हरएक काम करने का एक तरीका होता है । उन्हें चाहिए था कि मंत्री पद से त्यागपत्र देते । उससे ज्यादा विरोध प्रकट होता । उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल जो पूरे तौर से हिन्दी का पक्षपाती है वह कहता कि हम त्यागपत्र देते हैं, हम नहीं चलायेंगे यहां की सरकार को । इस तरह की कोई बात करते जिस तरह से लोगों ने अपने सरकारी आभूषण–विभूषण, पद्मश्री आदि त्यागे हैं । उस तरह की कोई कार्यवाही करते जिससे विरोध प्रगट होता, न कि कानून की अवज्ञा करना, कानून की अवहेलना करना और फिर यह प्रत्याशा करना कि कानून उनके खिलाफ नहीं चलेगा और जब वह सामने खड़े हो जाएंगे तो कानून का जो यंत्र है वह बन्द हो जायगा, ठप्प हो जायगा । इस तरह से काम नहीं होगा । मान्यवर, कानून निर्जीव यंत्र होता है, जैसा चला दिया गया है, वैसा चलता रहता है । उसमें किसी प्रकार की सजीवता लाना ही पक्षपात लाना होगा, उसे उसके स्वभाव के विरुद्ध ले जाना होगा । इन शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं इस विश्वास के साथ कि यह सदन देश के सामने एक अनुकरणीय मत रखेगा और सदा के लिए सारे देश के जिम्मेदार मंत्रियों को इस बात का निर्देश देगा कि वे जब तक मंत्री बने हुए हैं, मंत्री पद पर हैं, कानून की रक्षा करने के जिम्मेदार हैं तब तक अपने यहां भी और बाहर भी, कानून का उल्लंघन न करें । दिल्ली में आने के बजाय उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही क्यों नहीं कानून तोड़ा? दिल्ली में आने के बजाय उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किए । यदि वहां करते तो वहां क्या स्थिति होती? वहां की पुलिस क्या खड़ी देखती रहती? वही मंत्री, गृह मंत्री कानून का उल्लंघन करते । यह कितनी विडम्बना की व्यवस्था है जिसको हमारे मित्र श्री राजनारायण जी ने रखा । मुझे राजनारायण जी से उतना क्षोभ नहीं हो सकता, जितना क्षोभ मुझे तब होता है जब हमारे मित्र श्री त्रिलोकी सिंह जैसे जिम्मेदार, विचारवान व्यक्ति भी ऐसी गलत बातों का समर्थन करते हैं । मान्यवर, मुझे पूरा विश्वास है कि सदन हमारे प्रस्ताव को एकमत से स्वीकार करेगा ?

SHRI BHUPESH GUPTA: Mr. Vice-Chairman, in this matter my approach has always been more political than legal because I do not think that by quibbling over legal issues we can find an answer to the problem posed by the incidents that took place here in Delhi on the 13th of December involving the arrest and imprisonment of two Ministers of a State Government. Mr. Vice-Chairman when there is a characterless government like one present Indira Gandhi Government at the Centre, abnormal things do happen in a country. And that is what is happening today. Therefore, hon. Members, who are sitting opposite, should ask themselves as to how is it that such incidents did not take place fifteen years ago or earlier as are now happening. How is it that the Ministers of States today are obliged to come here and defy the law and the police at the same time behaving in this rude manner? This is a very important question, a poser of our public life.

Mr. Vice-Chairman, this is not the only incident. On the 22nd of November two former Ministers, who were Ministers only 24 hours before or much less perhaps—I have in mind the West Bengal Ministers, Mr. Viswanath Mukherjee and Mr. Amar Chakravarty—were assaulted brutally in the Calcutta Maidan by the police. One of them is still in hospital. Another has not recovered from injuries although he is in Jail. Both of them are under arrest; they are under trial. Only yesterday, again, to other former Ministers have been assaulted, one Mr. Krishnakant

[Shri Bhupesh Gupta]

Moitra and another, Mr. Jatin Bhattacharjee. One has been removed to jail. Now when such things are happening you must ask why the police are behaving in this manner or, for that matter, why the former Ministers or Ministers are obliged to express themselves in this manner. An answer to this must be found in the politics of the day.

Now, as I said, in a federal set-up or a quasi-Federal set-up a Government of this kind cannot maintain the political system on an even keel if you have that kind of idea in your mind. Coming to the Delhi incident, well, we should again view it politically. It is possible for the Government to deal with the situation in very many ways. *Which Constitution says that a situation* arising like the one that we were confronted with on the 13th of December can be tackled only in one particular way? Our Criminal Procedure Code does not say that when a person defies law he must be immediately arrested, put in prison and even treated in this manner or given some punishment. It is not necessary. There are other ways of dealing with such a situation. I say this thing because you must bear in mind that you are dealing with an abnormal situation. Mr. Vice-Chairman, some hon. Member defies the direction of the Chair and it is always open to the Chair, technically speaking, to name him and then force him out of the House, if necessary, by the use of force by invoking the services of the Marshal. But does the Speaker always do such things? We find that the Speaker sometimes adjourns the House in order to employ other methods when it is perfectly within his right to call the Marshal to settle in that particular way by use of force. But it is not done. Similar things happen in this House and in every single Legislative Chamber of this country. Now, here two Ministers came. Assuming for argument's sake that they came with the intent to defy law and, in fact, they defied section 144 which is a prohibitory order, which is open to question, under the Cr. P. C., now was it the only way of dealing with this thing? Mr. Vice-Chairman, this brainless Government has behaved in a brainless way. I think this arrogant Government has displayed utter arrogance in this manner. That is why they never thought of dealing with it except with the mentality of a police head-constable. That is why the Minister of Home Affairs made a statement which one could expect only from an unlettered, as I said, head-constable but not from a Minister of the Government. That is what I said then and I maintain that position.

Now, as it is, they came here. Well, the Prime Minister and the Home Minister could have easily invited them and talked to them. They are Ministers under this Constitution. They are a part of the framework which is in operation. They are a part of the federal arm of the Constitution, an arm of the system which is running here. They are a part of the Government taking the country as a whole, and Members of the Councils of Ministers. When they came here they had been driven to such a position *that they felt that that was the only* way of giving vent to their feelings and grievances against the Centre. Was it not the duty of the Prime Minister and the Home Minister to go out of their way, if necessary? But it was not necessary for them to go out of the way. Was it not their duty to ask them to come and talk? Nothing of the sort was done. Mr. Chavan ordered his policemen to be ready and deal with them in the same way as anybody else is dealt with. But they forgot that there are Constitutional and political implications involved in such matters.

Mr. Vice-Chairman, when they appeared near the Parliament House gate, Mr. Chavan could have gone there and talked to them and himself dealt with the situation. That would have created another atmosphere. You did not behave in this manner. We have known when political leaders of eminence went to defy law, in some cases the highest authority there came and dealt with the situation. In Bengal we have seen sometimes Ministers in the old days coming and facing the crowd and trying to persuade them. Why did Mr. Chavan not go? I would like to know why the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, did not go. They came on an issue which is agitating the minds of millions of the people in our country, the question of Hindi. Well, they may not be right in every single thing. But here is a live issue on which we are going to pass a Bill, an amending law. When they came over here over such an issue, that aspect should also have been borne in mind. They should have gone there to meet them. Nothing of the kind happened and they were treated in a very rude manner, without having

regard for the political and moral implications of this thing. Mr. Vice-Chairman, there are many security laws in the States. Now, suppose a Minister from the Centre goes to a State, say, Madhya Pradesh. Suppose the Madhya Pradesh Government thinks that the Minister has to be put under arrest under their security laws. Suppose they think that he has come to Madhya Pradesh to have a talk with the dacoits of Chambal Valley or he has come to Madhya Pradesh with stolen property. And suppose they invoke their Security Act and put that gentleman in detention or in prison. They can do so with regard to any other citizens. Then what will happen? Now, Mr. Vice-Chairman, for example, Mr. Annadurai—of course, he will not do it, but assuming only for argument's sake—has got at his disposal the Preventive Detention Act and suppose some Minister goes from here and Mr. Annadurai thinks that he has come there to tamper with essential services by talking to certain Government officers and so on, he will be well within his right to put that Minister of the Union Government under detention without trial . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Mr. Bhupesh Gupta, may I request you to wind up?

SHRI BHUPESH GUPTA: I am winding up. So it is an entirely wrong thing. I say you have opened the flood gates and I do not know where it will end. Now you can beat Ministers and ex-Ministers. But it may be your turn also to be beaten by others. Don't think that the lathi is only in your hand. It will not ever remain in your hand . . .

SHRI P. C. MITRA (Bihar): You kill the opponents.

SHRI BHUPESH GUPTA: You understand the legal implications of this. There are all kinds of laws that you have yourselves passed. A certain law can be invoked to arrest you even where you have seemingly not defied such law. There are such laws in the country and I hope you will understand the position. As far as the Delhi case is concerned, I ask you to ponder over this matter. I think you have defamed the country. People abroad will not look into all these details. They would read in "The London Times", in "The New York Herald Tribune", in French or Italian or West German papers or in the newspapers of other countries that here in India Ministers are beaten by policemen in the Capital of India where Mrs. Indira Gandhi happens to be the Prime Minister and Mr. Chavan happens to be the Home Minister. They will read in the papers that the Ministers or the ex-Ministers who are beaten belong to the non-Congress parties and those responsible for beating them either belong to the Congress Party, as in the case of Delhi, or to the puppets of the Congress Party or to those functioning under the Congress Party. It has a serious implication. Hon. Members need not make it an issue between them and us. You must realise how the world will react to such events. Some domestic troubles may be well explained. When a domestic trouble takes place. and there is a quarrel among brothers and brothers, people do not go into what was the reason for it. People view it from a larger angle. And the family is defamed when the brothers fall out among themselves in this manner. As far as the Delhi Police is concerned, well, statements have been made here by hon. Member Rajnarain. He is also a Member as much as Mr. Chavan is a Member. Why should his word not be taken? Why should the House take what the Minister said? Are you not putting Mr. Chavan as a Minister on a different footing, on a higher pedestal as compared to Mr. Rajnarain? Therefore, Mr. Vice-Chairman, I say here was a case for a public enquiry, an enquiry by a Commission of Parliament as to whether politically or otherwise it was a right thing for the Government to do, whether it was a right thing for the police and other authorities to behave in the manner they behaved. There was no enquiry. You know what we feel about it. You will understand that my case is entirely different. I have studied a little law, but I am not going into that aspect. I say that you are encouraging these officers to behave in this way. Yesterday, Mr. Vice-Chairman, a police officer, as a result of this, wanted to beat Mr. Ajoy Mukherjee on the head? Fortunately, some officer stopped him. The picture is there and it has been reported in the papers. That is what you are teaching. And that is what this Government is teaching, hooliganism, to the police. And the Delhi authorities who are responsible for this, as I have suggested in my

[Shri Bhupesh Gupta]
amendment, should be removed from service. But that will not do. Mr. Chavan should come here and offer at least an unconditional apology for the manner in which he has treated the entire subject. I say Mrs. Indira Gandhi and Mr. Chavan should realise that they are not 15th Century Moghul rulers that they can behave in the Capital of India in this manner. They should realise that they represent a quasi-federal system and they must adjust to the changing pattern of our political life and answer the new needs of the situation. They must change their code of conduct, their morals and their ethics. I say they are retrograde, they are arrogant, they are haughty, they are conceited and they are violators of common decency in our public life.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Mr. Chandra Shekhar.

श्री चन्द्र शेखर (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय भूपेश गुप्त ने यह सच ही कहा है कि यह सवाल कानून का उतना नहीं है जितना राजनीति का प्रश्न है । मैं भी इसको राजनैतिक दृष्टि से ही लेना चाहूगा । मैं आपके द्वारा माननीय भूपेश गुप्त से कहना चाहता हूं कि संसदीय जनतंत्र के लिये सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब जमहूरियत का इस्तेमाल करके, उसमे बडे ओहदे पर बैठे हुए लोग जमूहरियत को खत्म करने की बात करते है । माननीय त्रिलोकी सिह ने अपने भाषण के प्रारम्भ मे ही कहा कि मत्रियो ने जो ऐलान करके कानून तोडने की बात की उससे वह सहमत नही है । लेकिन प्रश्न केवल असहमति का नही है । प्रश्न यह है कि यह किस तरफ सकेत करता है, यह इशारा किस तरफ है और संसदीय जनतंत्र में जिनको सबसे ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं वही लोग अगर कानून को तोड़ने का इरादा कर के कानून तोडे और सारे देश के सामने, राष्ट्र के सामने, एक उदारहण रखे कि कानून तोड़ना कोई मर्यादा और बहादुरी की बात है और हमारे माननीय मित्र भूपेश गुप्त को बहुत बड़ी परेशानी मालूम होती है कि ससदीय जनतंत्र खतरे मे आ जायेगा अगर पुलिस कानून तोडती है, अगर पुलिस के लोग राजनैतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर और जनता के प्रतिनिधियो के उपर हाथ उठाएं, लेकिन जिस समय जनता के प्रतिनिधि स्वयं कानून को तोडने लगें और पुलिस के सामने जाकर यह कहे कि कानून तोडना उनका फर्ज है, कर्तव्य है तो माननीय त्रिलोकी सिह जी और माननीय भूपेश गुप्त से मै पूछना चाहता हू कि भविष्य के लिये आप कौन-सा उदहरण रखते है ? आप यह कहते है पुलिस हूलिगेनिज्म करे तो ससदीय जनतत्र ही उसे रोक सकता है क्योंकि पुलिस पर हमारा कब्जा है, पुलिस को हम सही रास्ते पर ले जा सकते है, लेकिन अगर ससदीय जनतत्र के अधिकार के द्वारा हूलिगेनिज्म और कानून तोडने मे कोई शिरकत करे तो उसको रोकने के लिये, मैं इस सदन से जानना चाहूगा, रास्ता क्या है ?

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्य प्रदेश) : रास्ता है ।

श्री चन्द्र शेखर : उसका रास्ता है तो वही है कि पुलिस की ताकत का इस्तेमाल किया जाये क्योंकि पुलिस की ताकत का इस्तेमाल नही होता क्योकि इस ससद ने अधिकार दिया है पुलिस को उस पुलिस ने अपने कुछ कर्तव्यों का पालन किया..

श्रीमती सरला भदौरिया (उत्तर प्रदेश) : पुलिस को यह अधिकार मिला हुआ है कि वहां अदालत मे ले आने के लिये घसीटे जायं । उनको बंद करवा दीजिए, उन पर मुकदमा चलाइये..

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, मैं आपके जरिये माननीया सरला भदौरिया से कहूंगा कि उस पहलू पर भी मैं अपने विचार रखूगा । शुरू मे मैं कहना चाहता हू कि आखिरकार क्या तरीका है । माननीय त्रिलोकी सिह ने जो एक सवाल उठाया है वह एक मौलिक सवाल है, बुनियादी सवाल है, उससे मैं सहमत हूं कि पुलिस सरकार के हाथ मे नही होती है वह लोकल अथारिटी के हाथ में होती है, स्थानीय अधिकारियो के हाथ मे होती है । इतनी तो मौलिक बात उन्होने कही । लेकिन एक बात जो उन्होने कही कि अगर शायद महानगर

पालिका के हाथो मे पुलिस होती तो यह घटना नही होती । मै नही समझता कि इसका कारण क्या है क्योकि माननीय प्रभुनारायण सिह और रामस्वरूप वर्मा जी जिस सरकार के मत्री है उसी सरकार की पुलिस ने गिरफ्तारी की, यानी यहा की गिरफ्तारी के तीन दिन बाद, आज से दो दिन पहले, मेरठ मे तीन सयुक्त सोशालिस्ट पार्टी के विधायकों को पकड़ा वहा भी यही किया गया और पुलिस ने उनको धक्का दिया । महोदय, मै आप से जानना चाहूगा . . .

श्री त्रिलोकी सिह : वहां पुलिस सरकार की है, स्थानीय निकाय की नही है ।

श्री चन्द्र शेखर : स्थानीय निकायों मे भी जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं और यहा भी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधियो के हाथ मे है । लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की शान्ति और व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी रहेगी या नही । चाहे वे स्थानीय निकायों के अधिकार मे हों या फिर वे राज्य सरकारो के हाथ मे हों । अगर पुलिस के जिम्मे यह काम रहेगा कि वह शांति और व्यवस्था को कायम रखे, तो शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभायेगी और उस जिम्मेदारी को निभाने में कभी कभी शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ सकता है । यह दुःख की बात है कि एक जनतत्र में इस तरह की बात नही होनी चाहिये ।

महोदय, मै आपके जरिये इस सदन से कहना चाहूंगा कि उस दिन जब यह सवाल उठाया गया था, मै उस बात को यहा पर फिर दोहराना नही चाहता हू कि ढाई घटे और तीन घंटे तक किसी मिनिस्टर को पुलिस लोक अप मे इन्तजार करना पड़ा और वह बुरी बात है । इस बात की भर्त्सना होनी चाहिये और इस बात की निन्दा होनी चाहिये । *लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि* किसी मंत्री को इससे यह अधिकार मिल जाता है कि वह कचहरी के अन्दर जाये और मैजिस्ट्रेट के अधिकारों को न माने । महोदय, मै आप से जानना चाहता हू कि आज तो मैजिस्ट्रेट के सामने की बात है, अगर कल कोई सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर इस तरह की बात करेगा, तो क्या इस तरह से संसदीय जनतंत्र चलनेवाला है, अगर हम न्यायपालिका की रक्षा नही कर सकते? जब मैजिस्ट्रेट न्याय देने को बैठता है, तो उसकी वहां पर इज्जत होनी चाहिये ।

एक बड़ा सवाल उठाया गया है जो अपनी जगह पर बड़ी अहमियत रखता है । मै यह बात मानता हू कि अगर मैजिस्ट्रेट एक दिन के लिए मुकदमा बढ़ा देता तो उससे कोई तूफान बरपा नही हो सकता था । 5 बजे गये थे और नित्य के कर्म मे लोगो को जाना था । श्री त्रिलोकी सिह जी कायदे कानून के सबध मे मुझ से अधिक जानकार हैं । लेकिन मै यह जानता हूं कि अगर जेल छः बजे बद होता है । लेकिन उसी जेल के नियम के अन्दर मैजिस्ट्रेट अपने आदेश जारी करके 12 बजे रात को भी जेल खुलवा सकता है । मैजिस्ट्रेट अगर कहता है कि अदालत मे रहिये ।

श्री राजनारायण : नही कह सकता है । You do not know anything about law. You have to learn it.

श्री चन्द्र शेखर : मै छः वर्ष तक एल०एल०बी० मे फेल नही हुआ । हमारे माननीय सदस्य लॉ की व्यवस्था में काफी अनुभवी है कुछ वर्षो तक फेल होने के बाद भी । अगर आप ऐसा कहेंगे तो जवाब भी पायेंगे । तो महोदय, मै आपसे निवेदन करता हू और राजनारायण जी से कहना चाहता हू कि मैजिस्ट्रेट जबरदस्ती 12 बजे तक बैठा सकता है । मैंने तो एक ही बात कही थी कि जेल बद होने का जो समय है वह कोई नियम के अन्दर नही आता है ।

श्री त्रिलोकी सिह : मैजिस्ट्रेट का जेल पर काबू नही है । जेल के लाकअप और अनलाकअप के बारे मे, आई जी प्रिजन को ही जेल मैन्वल मे अधिकार दिये गये है ।

श्री चन्द्र शेखर : मै जानता हूं कि माननीय त्रिलोकी सिह जी अपनी बातों को अच्छी तरह से कह सकते है । मै उनसे सहमत हूं कि लाकअप

[श्री चन्द्र शेखर]

और अनलाकअप का सवाल नही है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मैजिस्ट्रेट के आर्डर से जेल 12 बजे भी खुल सकता है और उसमे बंदी भेजे जा सकते है। (*Interruptions.*) । मैजिस्ट्रेट इमरजेन्सी में किसी भी समय जल को खुलवा सकता है।

[THE DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*]

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अगर उनका हिन्दी के लिए इतना प्रेम था क्योंकि मै श्री प्रभुनारायण जी और श्री रामस्वरूप जी को 15. 20 वर्षों से जानता हूं और वे मेरे व्यक्तिगत मित्र भी रहे हैं। अगर उन्हें कानून तोड़ना ही था तो दिल्ली आने की क्या जरूरत थी। चेतना और जाग्रति की बात तो तब मानी जाती जब वे मेरठ में दफा 144 को तोड़ते। उत्तर प्रदेश के 11 जगहों पर उनकी हुकूमत ने 144 धारा लगा रखी थी और इन 11 जगहों पर उन्होंने कानून तोड़ना जरूरी नही समझा। वे कानून तोडने के लिए दिल्ली आये। मै माननीय भूपेश गुप्त जी से एक बात कहना चाहता हूं और मै उनकी बात से सहमत हूं कि एक खतरा दिखलाई पड़ता है। मैंने गृह मंत्री जी और जो राज्य मंत्री हैं उनसे भी कहा था कि जो ये सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री है वे यहा पर कोई हिन्दी के पक्ष मे वातावरण बनाने के लिए नही आये है बल्कि उनका राजनैतिक अभिनय करने का एक राजनैतिक ढंग है। मैं आपको बतलाना चाहता हू कि यह राजनैतिक अभिनय सारे संसार के इतिहास में एक बार हिटलर ने किया था। हिटलर ने कहा था कि अगर राष्ट्रीयता को बचाना है तो उस तरह के आदमी हिटलर के नाजी पार्टी में ही है। अगर आज हिन्दी को बचाने की किसी में ताकत है तो इन लोगों में है जो राष्ट्रीयता के रंगमंच पर राजनीति का एक नये तरह का अभिनय कर सकते हैं। हमने उनसे कहा था कि इन लोगों से निपटने के लिए एक ही तरीका है और वह यह है कि इनकी बातों को नोटिस में मत लाइये। पुलिस ने जो कुछ किया, उसके लिए शासन की जिम्मेदारी है, यह मैं नही जानता हूं। लेकिन मैं आज इस सदन के जरिये भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह के राजनैतिक अभिनेताओं से आप बचिये क्योंकि न उनको हिन्दी से प्रेम है, न जनतंत्र से प्रेम है उनका तो एक ही मकसद है और वह यह है कि यह ससदीय जनतंत्र किसी तरह से टूटे। मै श्री भूपेश गुप्ता जी से कहूगा कि हम को कोई खतरा नहीं दिखलाई देता है। माननीय भूपेश गुप्ता जी जानते है कि जब पश्चिमी बंगाल मे गड़बड़ हुई थी और वहां के लोग तथा मत्री प्रधान मंत्री जी के दरवाजे पर धरना देने के लिए आये थे, तो उस समय श्री भपेश गुप्ता जी ने और कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेताओ ने स्वयं कहा कि इस तरह की बात मत करो। यह एक मखौल होगा और उन्होंने एक रास्ता निकालने की कोशिश की।

SHRI BHUPESH GUPTA: I never said that but you must realise at that time good sense dawned on the Prime Minister and she agreed to talk to them which she did not do in this case. There was a discussion for two or three hours as a result of which a settlement was brought about. Certainly I had a part to play in this thing but I did not ask anybody like that.

श्री चन्द्र शेखर : तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे कम्यनिस्ट पार्टी हो, चाहे जनसंघ हो, चाहे प्रजा समाजवादी पार्टी हो, लेकिन जिस तरह से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने भारत की राजनीति मे इस तरह का अभिनय अपनाया है वैसा किसी पार्टी ने नही अपनाया है। इसलिए मै कहता हूं कि भविष्य में कोई खतरा नहीं है। लेकिन मै आप से कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सदन में इन लोगों को अपने प्रचार करने का मौका न दे।

महोदया, अंत में मै यह कहना चाहूंगा कि यह मोशन आ गया है, यह प्रस्ताव आ गया है। लेकिन पुलिस ने जो ज्यादती की है उसकी जांच होनी चाहिये। अगर पुलिस ने अपना कर्त्तव्य पालन किया तो मै श्री भूपेश गुप्ता जी और श्री त्रिलोकी सिह जी से कहूगा कि वे इन लोगों की भर्त्सना करें। अगर वह चाहते है कि केवल पुलिस के व्यवहार की भर्त्सना की जाये तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।

मेरे मित्र श्री शुक्ल जी ने एक संशोधन रखा है। वह दरअसल में इस तरह से होना चाहिये कि यह सदन इन मंत्रियो के कार्य की भर्त्सना करता है कि उन्होने इतने ऊचे पद पर रहकर, इतने गरिमा के पद मे होकर, इस तरह से व्यवहार किया। उन्होने जनतात्रिक परम्पराओं का, जम्हूरियत का अखलाक जो है, उसको मिटाने की कोशिश की। जो लोग सियासत मे जम्हूरियत के अखलाक को तोडते है उन्हे जम्हूरियत मे मिले हुए हकों को इस्तेमाल करने का कोई हक नही हो सकता है। इसलिए मै सदन से अनुरोध करूगा कि वह इन दो मंत्रियों के व्यवहार की तीव्र स्वर से भर्त्सना करे। मै सरकार से भी निवेदन करूग कि अगर पुलिस ने ज्यादती की है, जैसा कि मैने पहले भी कहा था, तो उसकी जांच की जाय और जो दोषी पाया जाय उसको सजा मिलनी चाहिये। लेकिन मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जो कुछ हुआ है वह भर्त्सना का विषय है और सदन को यह बतलाना चाहिये कि न्यायपालिका के अधिकारो की रक्षा करने के लिए वह कृतसंकल्प है। मैजिस्ट्रेट जो आर्डर देता है उसको मंत्रियों को मानना चाहिये था और मैजिस्ट्रेट पुलिस को जो आर्डर देता है कि वह मंत्रियो को कोर्ट में ले आये, तो इसमे पुलिस का कोई दोष नही है।

मै इन शब्दों के साथ आपके जरिये सदन मे अनुरोध करता हूं कि मंत्रियों के कार्य की निन्दा होनी चाहिये।

श्री दत्तोपन्त ठेंगडी (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मै समझता हू कि मामला माननीय प्रभुनारायण सिह जी या माननीय रामस्वरूप सिंह जी तक सीमित नहीं है। यह एक सिद्धात का सवाल है और इसके इम्प्लीकेशंस बहुत दूरगामी हो सकते है और इसी संदर्भ मे इसको देखना चाहिये, यह मै अनुरोध करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि राष्ट्र का जो गौरव है उसको किस तरह से आका जाता है। इसके आधार पर नही कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का सम्मान कहां तक होता है। किसी भी राष्ट्र मे सर्वसाधारण सार्वजनिक कार्यकर्ता का जो सम्मान का स्तर है वह राष्ट्र के सम्मान का स्तर माना जाता है। इस दृष्टि से पुलिस के द्वारा और मैजिस्ट्रेट के द्वारा, मंत्रियों की बात छोड दीजिये वह अलग बात है, किन्तु सर्वसाधारण सार्वजनिक कार्यकर्ता की जो इज्जत की जाती है वही राष्ट्र की इज्जत क स्तर है, ऐसा मै समझता हू। यह जो सारा दुर्व्यवहार हुआ इसको मै दोहराना नही चाहता, मगर यह सिद्ध करता है कि सरकार की आखो में सार्वजनिक कार्यकर्ताओ की कोई इज्जत नही है। अग्रेज चले गये, अंग्रेजियत बाकी बची है और उसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट पुराना रवैया ले कर के चलता है, शायद वह बिगड़ता जा रहा है, सुधार उसमे नही है। तो यह राष्ट्र की प्रतिष्ठा का सवाल है ऐसा मै समझता हूं।

पुलिस डिपार्टमेंट ने आज मंत्रियो के साथ ज्यादती की। इसके कारण यह बात हाईलाइट हुई है, प्रकाश में ज्यादा आई है। मंत्रियों के साथ व्यवहार इस प्रकार का होना नही चाहिये, यह अलग बात है। किन्तु पुलिस का जनता के साथ और बाकी लोगों के साथ व्यवहार किस तरह का है इसके विषय मे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। पुलिस डिपार्टमेंट के लिये व्यवहार की दृष्टि से 'dos and don'ts' प्रेस्क्राइब करने की आवश्यकता है। यह बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि जहां देश की प्रतिष्ठा का सवाल हमने रखा है वहा मै समझता हू कि सरकार की प्रतिष्ठा के लिये भी यह बात अच्छी नहीं रही क्योकि क्या यह सारी अभूतपूर्व घटना टाली नही जा सकती थी। जब मत्री उत्तर प्रदेश से निकले, उन्होंने अपना मतव्य प्रसिद्ध किया था, प्रकाशित किया था तो उनके साथ हमारे गृह मंत्री जी पहले जा कर के विचार विमर्श करते हुये कोई बीच का रास्ता क्यो नही निकाल सके और एक फाल्स नोशन आफ प्रेस्टिज को ले कर के क्यों चले। प्रेसिडेंट अयूब के साथ जो कि आक्राता है हम शायद प्रलय काल तक वार्ता करने की तैयारी रखते है। माओ और चाऊ के साथ जो कि हिन्दुस्तान को समाप्त करना चाहते है हम शातिपूर्वक वार्ता की बात करते है। हमारे ही बन्धु जिनकी बोनाफाइड्स के बारे में, उद्देश्यों के बारे मे किसी को भी सन्देह नही है, देशभक्ति के बारे मे किसी को सन्देह

[श्री इन्द्रोपन्त ठेंगड़ी]

नही है, यदि कुछ दूसरा इरादा ले कर के यहा आते है तो उनके साथ पूरी बातचीत करने मे हमारे गृह मत्री जी के मन मे कौन सी गलत भावना का निर्माण हुआ कि उन्होने बात नही की ।

यह कहा गया है कि यह घटना अनप्रेसिडेटेड थी । अनप्रेसिडेटेड हो, एक्सेप्शनल हो, एक्स्ट्रा-आर्डिनरी हो, किन्तु ऐसे समय सरकार के मत्रियो की योग्यता की परीक्षा होती है । हमारे राजनारायण जी ने कौआ का नाम लिया । जैसा कि कह गया है कि कौआ भी काला, कोयल भी काली, फिर कैसे दोनो को पहचाना जाये । जब परीक्षा का समय आता है, जब वसन्त ऋतु आती है तब कोआ और कौयल की स्थिति सिद्ध हो जाती है । वैसे ही मत्री कोई भी रह सकते है किन्तु योग्यता किस की है इसकी परीक्षा जब कोई एक्स्ट्राआर्डिनरी या अभूतपूर्व घटना होती है तब हो जाती है । यह अभूतपूर्व घटना जब हुई उस समय हमारे मत्री महोदय परीक्षा मे नही उतर सके । उसके कारण सरकार की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा है, चोट पहुची है ऐसा हमारा खयाल है ।

एक और भी महत्व की बात इसमे निहित है, एम्प्लाइड है, ऐसा मै समझता हू । यह ठीक ही कहा गया है, कि आज उत्तर प्रदेश के दो मत्री यहा आ कर के कानून का उल्लघन कर रहे है, किन्तु साथ ही साथ देश मे जो बदलता हुआ वायुमडल है उसको देख कर के हम ऐसी आशा रख सकते है कि राजकीय चित्र बहुत तेजी से बदल रहा है और बदलने वाला है, ऐसी परिस्थिति मे ऐसी घटनाए हो सकती है । केवल राज्य के मत्री यहा आ कर के सत्याग्रह करे इतनी ही बात नही है, केन्द्र का मत्री भी हो सकता है कि किसी राज्य मे जा कर के, किसी भी काज को ले कर के सत्याग्रह करे या कानून का उल्लघन करे । जिस समय हमारा सविधान बना था उस समय शायद इस तरह की घटना की आशका प्रगट नही हुई थी । किन्तु आज जो राजनैतिक चित्र तेजी से बदल रहा है उसको खयाल मे रखते हुये इस प्रकार की परिस्थितियो का यदि निर्माण होता है तो अपने देश की एकता को कायम रखने की दृष्टि से पारस्परिक व्यवहार किस तरह का होना चाहिये, इसके विषय मे एक आचार सहिता, एक कोड आफ काडक्ट सभी केन्द्र और राज्य के मत्रियो के लिये तैयार होना चाहिये और इसकी आज आवश्यकता है । यह बात ठीक है कि आज इस राजभाषा को ले कर के सब लोग अपनी भावनाए प्रगट कर रहे है, हम भी अपनी भावना कल प्रगट करेगे, उस विषय को हम अभी यहा लाना नही चाहते । किन्तु इस तरह के उत्तेजना के अवसर आ सकते है कि राज्य के मत्री, केन्द्र के मत्री एक दूसरे के जुरिस्डिक्शन मे जा कर के इस तरह का आन्दोलन या सत्याग्रह करने का इरादा रख सकते है । इन परिस्थितियो मे जहा विभिन्न दल है, विभिन्न राज्यो मे विभिन्न दल शासनारूढ हो सकते है । हमारा स्ट्रक्चर पूरा फेडरल नही है, पूरा युनिटरी नही है और ऐसी स्थिति मे अपने देश की इंटेग्रिटी को बनाये रखने की दृष्टि से ही अपने व्यवहार की आचार सहिता नही बनायेगे तो उसके कारण देश को विघटित करने वाले बहुत अवसर आ सकते है इस दृष्टि से इस अवसर पर मै यह भी सुझाव रखना चाहता हू कि इस तरह की परिस्थिति को डील करने के लिये सभी राजनैतिक दलो के नेताओ की सहायता से एक कोड आफ काडक्ट तैयार किया जाय ।

SHRI R T. PARTHASARATHY. Madam Deputy Chairman, I will be very brief in condemning the act of the hon Ministers of U P the other day in Delhi I am using the word 'honourable' because, when they committed this offence, they continued to be Hon Ministers having taken the oath under the Constitution. The Constitution having conferred upon them the privilege of Ministers, all the same, in the eye of the law neither Minister nor an ordinary citizen can be treated in a differential manner The manner in which the Ministers conducted themselves violating the order of the Government, violating the due process of law and ultimately violating the Constitution, I am afraid it cannot stand the testimony in the bar of public opinion. The Ministers, who are makers of the law and are to execute them and to administer them fairly and squarely,

if the Ministers are themselves to become the breakers of the law, I am sure it is showing the greatest disrespect to our Constitution, and what I would call the act of my two good friends and the two very able friends of Mr. Rajnarain is something like manhandling the Constitution of India, and that cannot be tolerated by this Parliament which stands under the Constitution. And as long as the law is respected, the law will give them due respect. Otherwise, the tentacles of the law will spreak on them and they will have to pay the penalty, whatever it might be, and I am here as a Member of this House to uphold the principles of the Constitution and the due process of law, and I emphatically condemn the act of these Ministers from U.P. If only I should add, it is that the higher authorities have not done the right thing by the Constitution in not dismissing these Ministers from office immediately after they had committed this offence.

Thank you, Madam.

6 P.M.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Home Minister. He wants to intervene.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal): But I have to . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: After the Home Minister you can carry on.

SHRI NIREN GHOSH: He can reply later.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He wanted to intervene and . . .

SHRI NIREN GHOSH: Why? This is objectionable.

SHRI BHUPESH GUPTA: I think the attitude of the Home Minister is unsatisfactory. I humbly suggest it. It looks as if he has only come to make a speech and then go away. I think the hon. Home Minister should show a little more respect by listening to us also and not only to his own party men.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are so many names. We cannot sit indefinitely. Mr. Niren Ghosh, I will give you a chance. Now the Home Minister.

SHRI BHUPESH GUPTA: That is not the point, Madam. I understand your point clearly. Normally . . .

SHRI NIREN GHOSH: Why? Let him first listen and then give his reply.

SHRI BHUPESH GUPTA: Normally there is no objection to a Minister intervening in a debate. It is perfectly within his right. But here the matter relates to the Home Ministry and you would have noticed, Madam, that he came when his party man was speaking and immediately after that he wants to speak. He wants to preach his Sermon on the Mount and then disappear from here.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): Of course not.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is only intervening now.

SHRI NIREN GHOSH: If you always arrange the business in this way and want to accommodate the Ministers then it is unfair to us.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is nothing unfair in this. So many people have spoken on the motion. It may be that there are two or three more names. After all, we have to look to the time also and he is intervening. I am willing to sit with you. (*Interruptions.*) Please, let him speak. Mr. Gupta has also said that he is within his right to intervene.

SHRI BHUPESH GUPTA: No, no. I said . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: You did say it.

SHRI BHUPESH GUPTA: Nobody has the right to intervene. I said to you, Madam, you have the right to call the Minister to speak at any time.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is all right. I call him.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am not disputing your right. But that right should be exercised in a right manner. The Minister, as I pointed out, did not listen to any opposition speech. He came, listened to the speech of his party man and then without hearing any of us he wants to dole out his speech.

AN HON. MEMBER: He knows what you will say.

SHRI Y. B. CHAVAN: In my speech I will certainly explain the facts. Unfortunately one of my colleagues is out and therefore I have to attend to both the Houses. Otherwise I would have loved to sit here and listen to the

[Shri Y. B. Chavan.]

speeches. In my absence, of course, I could not listen to the speeches, but my colleague here has taken notes for me and . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: Can I see those notes to find out whether they have been correctly taken down?

SHRI Y. B. CHAVAN: That will be evident from my reply. That can be judged from my reply.

SHRI R. T. PARTHASARATHY: Is Mr. Gupta the teacher and Mr. Chavan the student?

SHRI BHUPESH GUPTA: It is only a humble request.

SHRI Y. B. CHAVAN: Apart from that, in this matter I am not going to reply. I am only giving the facts as I know them. I am going to leave the entire matter to the judgment of this honourable House. Who am I to reply here, to Shri Rajnarain and others? I will only give the facts as I know them. I must begin by repeating what I have said before, that this entire episode is very painful to me.

SHRI BHUPESH GUPTA: But you don't look it.

SHRI Y. B. CHAVAN: But certainly sometimes one has to do painful duties. In this matter two Ministers from Uttar Pradesh came. I have all regard for them, as leaders of people, as Ministers, as workers. I have all the regard for them. But, Madam the basic position here was that these two Ministers decided to break the order passed under section 144. Why they decided so, it is for them to say. But certainly here in the capital city an agitation was going on about the language problem and when two very highly placed persons come here and offer *Satyagrah* or break the Law, it unnecessarily excites the feelings of the people also. So it was the duty of the police to make no difference between ordinary citizens and Ministers.

AN HON. MEMBER: *Duragraha* and not *Satyagraha.*

SHRI Y. B. CHAVAN: When they were arresting ordinary citizens . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: It was Mr. Chavan's duty to ask them to do so.

SHRI Y. B. CHAVAN: . . . for breaking the 144 order, how can they say, "Here are Ministers and therefore even though they are breaking the law they should not be arrested"? Here in the House the demand is voiced, and rightly so, that nobody not even Ministers, should be above the law, above the ordinary law of the land. How can they be. So they had to be arrested. I do not think the police had any other alternative before them. The next stage was when they were arrested they were sent to jail. This controversy was raised that they were given B class and not A class. The facts as they are reported to me are that from the staff of the Magistrate the recommendation was made that the Ministers and the M.L.A.s should be given B class and on that recommendation the warrants were prepared and brought before the Magistrate. Then the Magistrate asked them to give the hon. Ministers and the M.L.A.s A class. He ordered his own staff to change it. So it was changed from B class to A class. The change was not made by the police or the jail authorities. It was done by his own staff in the Magistrate's office. What is wrong in that? He showed consideration to the Ministers and the M.L.A.s and instead of giving them B class he wanted to give them A class. And then people say that though they were given A class, they were not treated properly.

SHRI BHUPESH GUPTA: That is to say, the Magistrate had to correct what the police had done. That is how you train your policemen.

SHRI Y. B. CHAVAN: His office does not mean policemen. You know these things, Mr. Gupta. Why do you feign ignorance in these matters?

श्री राजनारायण: यह चेंज कब हुआ, चव्हाण साहब यह चेंज कब हुआ ?

श्री वाई०बी० चव्हाण: यह उसी दिन किया। I only state the facts as I know them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is putting his case before the House.

SHRI BHUPESH GUPTA: They supply him facts and he believes them.

श्री राजनारायण: आप कृपा करके एक प्रार्थना हमारी मान लें कि इसकी कोई इनडिपेंडेन्ट इनक्वायरी बिठा दें। हमारा कहना है कि मैजिस्ट्रेट ने जब जेल से वारंट आया तब चेंज किया।

श्री वाई० बी० चव्हाण : आपकी इत्तिला ग़लत है अगर ऐसा मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि मेरी इत्तिला ग़लत है ।

SHRI Y. B. CHAVAN : Next day, all these persons, the Ministers, the M.L.A.s and some other persons also, were brought to the court. My report is that the case began at 2.45 that day and the case went on. They recorded their statements. Some statements were recorded and all of them pleaded guilty before the court. That is my report. And then suddenly at 5 past ten, the Minister decided that it was no time for the court to continue its work and . . .

AN HON. MEMBER : You mean ten past five.

SHRI Y. B. CHAVAN : Yes, I am sorry it was ten past five.

SHRI BHUPESH GUPTA : That is the confusion with which you speak. Everything is topsyturvy.

THE DEPUTY CHAIRMAN : It is now ten past six

SHRI Y. B. CHAVAN : It was ten past five and they decided "This is no time. It is five o'clock and the court should sit only up to five o'clock and we go out." So they invited themselves outside, to the verandah. I really don't understand. The hon. Member Shri Triloki Singh said that the court should have allowed them to go because they were going to jail. It was not a question of allowing them to to go to jail or outside.

SHRI TRILOKI SINGH : The Minister is wrongly informed by his Deputy or his colleague. I did not say that.

SHRI Y. B. CHAVAN : All right. If you had not said and I have said it, then I am sorry.

SHRI BHUPESH GUPTA : That is why we wanted to see those notes, to verify if they were correctly taken down.

SHRI Y. B. CHAVAN : But the point made by the hon. Member was that they should have been allowed to go.

SHRI TRILOKI SINGH : That is correct.

SHRI Y. B. CHAVAN : He said that these persons should have been allowed to go. Now, it is a very interesting position. When a court is functioning as a court instead of the court deciding whether it should function or not, the accused persons there who are being tried say that the courts should not function any longer only because they happen to be Ministers. If they ought to be given this concession then this is the end of the judiciary, this is the end of law and this will be the end of this country.

(*Interruptions.*)

श्री बी० एन० मंडल (बिहार) : कायदे के मुताबिक तो पांच बजे कोर्ट उठ जाना चाहिये ।

SHRI Y. B. CHAVAN : They have their own ideas of law and rules also. I have looked into the High Court's instructions for the conduct of the work of the courts and the only thing that the High Court rule says is that after 4.30 no new case be taken for hearing. That is the only point that is there. Otherwise it is the discretion of the court to sit reasonably even after five o'clock. Of course it does not mean that they will sit the whole night. This is the second Act. The court certainly ordered them to be brought before the court and I think it was the duty of the court to do that. If the court had not acted in this way the court would have failed in its duty. Then they tried them, convicted and sentenced them.

श्री राजनारायण : साफ साफ बयान हुआं कोई कोर्ट बिना बयान लिये हुये क्या सज़ा सुना सकता है । यह आप ही सुना सकते हैं ।

SHRI Y. B. CHAVAN : This is a matter on which I cannot give an opinion. I have said to my hon. friend, Mr. Rajnarain, that he can go to the appellate court and get this point decided. I cannot decide this matter about the proceedings in the court. Whether the proceedings are legal or illegal I cannot judge.

श्री राजनारायण : यह कामन सेंस है ।

SHRI Y. B. CHAVAN : It is a matter of basic common sense not to use our commonsense about judicial proceedings.

श्री राजनारायण : सही बात है, इसीलिये मैजिस्ट्रेट ने कामन सेंस नहीं इस्तेमाल किया । आप बिल्कुल करेक्ट हैं, इसीलिये आपके मैजिस्ट्रेट ने कामन सेंस नहीं इस्तेमाल किया ।

SHRI BHUPESH GUPTA: Therefore the hon. Home Minister is on record that the court did not use commonsense at all.

SHRI Y. B. CHAVAN: No, no.

SHRI BHUPESH GUPTA: You are on record.

SHRI Y. B. CHAVAN: I am not on record. This is your knowledge of record.

SHRI BHUPESH GUPTA: You said it.

SHRI Y. B. CHAVAN: I did not say it.

SHRI BHUPESH GUPTA: What did you say then?

SHRI Y. B. CHAVAN: I think the machines that you have are not working properly.

SHRI BHUPESH GUPTA: You said that it is commonsense that commonsense is not used in courts.

(*Interruptions.*)

SHRI Y. B. CHAVAN: Now, Madam, the third Act begins after the conviction, sentence, etc.; it is the third episode. Rightly or wrongly they were angry and they decided to sit either on the pavement or on the street there. There was some sort of argument with the officers. Whatever it was I am not expressing my view on what happened at that stage. About ten past seven or so the hon. Mr. Rajnarain came to me in my room in the Parliament House and he said that these Ministers were sitting there, they did not want to leave that place and that an ugly situation was likely to develop there. And he asked me, "What do you do about it?".

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: Where were they sitting?

SHRI Y. B. CHAVAN: Just in front of the court on the street.

He also said that a crowd was collecting there. I was much concerned about it and I asked Mr. Rajnarain: "Why don't you go and request them to leave that place? He said: मैं तो कह कर आया हूं, मरी मानते नहीं, अब आप चलिये । मैंने कहा :

"Certainly I would have liked to come but I am rather busy." I was sitting in a meeting. A meeting of the Sub-Committee of the Cabinet was going on.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: Were they released at that time?

SHRI Y. B. CHAVAN: Please listen. They were released.

He said: "They won't listen to me. Either you come or give me something in writing to them." I said certainly I would write a letter. He wrote a letter and I signed it requesting these Ministers: "Please go to your homes. Either you come and see me or I will come and see you wherever you are." Next morning I went to Mr. Rajnarain's house. They invited me very kindly; they welcomed me very kindly. We had some discussion in the sense that I wanted to know exactly what happened etc. I had one doubt in my mind and that I wanted to get cleared from them. I said: "Was it some sort of misunderstanding on the part of the police when they arrested you? Did you really intended to break the law or did they presume you would break the law? Was there any misunderstanding about it?" I must say that they honourably said no, there was no misunderstanding on the part of the police. Then they told me the whole story about what happened. I am not expressing my view about the story because I have had the report from the officers about the other side. I have heard the Ministers also. So I asked the higher officers of the Delhi Administration to give me further facts about the matter so that after I get the facts I will try to convince myself about what exactly happened. Here from some Members, there was a demand for a judicial enquiry into this matter. Judicial enquiry into what part of the matter? Because one set of facts leads on to the second set of facts and the second set leads on to the third and in all these sets of facts there are judicial proceedings. Do I ask a judicial enquiry to be started into the judicial proceedings itself? It is rather a difficult thing. I can only say that the whole thing was a very unfortunate episode and it started from the decision of the Ministers about breaking the law. However good the cause may be

I think we must accept certain principles that as long as we have taken the oath of office—may be U.P. Government, may be Bengal Government, may be Central Government or any other Government,—the Ministers of the Government should not deliberately, consciously break laws. If the Ministers break laws however justified they may be on their own philosophy—I have no quarrel with their philosophy—it will lead to such unfortunate developments and I would request Mr. Rajnarain, the leader of that party, not to mislead his party.

श्री राजनारायण : क्या ?

SHRI Y. B. CHAVAN: You are a leader of that party and you should not mislead the party because it is one of the important parties of the country and what happens tomorrow to democracy in this country and to the Constitution of this country depends upon the basic attitude of the parties concerned in the country. Madam, I welcome this debate because . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: What happened yesterday in Bengal?

SHRI TARKESHWAR PANDE (Uttar Pradesh): Shut up. हल्ला क्यों करते हो।

SHRI Y. B. CHAVAN: Well, they are ex-Ministers.

SHRI BHUPESH GUPTA: You have got police constables here? Have you got some Delhi Policemen here? साहब ले जाइये उनको, दिल्ली पुलिस में ले जाइये।

श्री आबिद अली (महाराष्ट्र) : सुनो। चुप रहो।

SHRI BHUPESH GUPTA: How do you feel? You are spoiling the case.

SHRI TARKESHWAR PANDE: Where there are criminals there will be police.

SHRI BHUPESH GUPTA: That is the trouble, you see.

SHRI ABID ALI: There is a limit to our patience.

SHRI BHUPESH GUPTA: He got up like a policeman.

श्री आबिद अली : अब चुप भी रहो।

SHRI Y. B. CHAVAN: Madam, I have done. I have reported the facts as I know them. I have nothing more to add. I would leave it to the House to come to its own judgment about this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Niren Ghosh, do you want to speak?

SHRI TRILOKI SINGH: Madam, may I know how long we are going to sit?

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have to go on. I am in the hands of the House when we have got motions like this. This must be finished today. Mr. Rajnarain will reply.

SHRI NIREN GHOSH: Madam, Deputy Chairman, I have . . .

SOME HON. MEMBERS: What is this? He is not Mr. Rajnarain.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I thought he was not going to speak. Mr. Ghosh, you have only five minutes.

SHRI NIREN GHOSH: I carefully listened to the Home Minister's speech. It is the speech not of a Minister but of a bureaucrat. That is what struck me and that is rather embarrassing. Taking the whole thing into consideration the fact is that Home Minister, Mr. Chavan, himself took a revengeful and vindictive attitude in this. Because of the U.P. Ministers coming to Delhi and breaking section 144 he took a vindictive attitude. He said if the law is broken by anybody he should be arrested. He might be arrested but he should know that Gandhiji made a march from Dundee.

AN HON. MEMBER: Don't compare them with Gandhiji.

SHRI NIREN GHOSH: Of course it was for a different purpose for which they came. That is another thing. I am the last person to want one language as the official link language for all the people. Of course that is quite another thing; that is not the point at issue here. The point at issue is how they were treated. Even the British Government, if the law is broken, certainly did not do anything of this kind but here Mr. Chavan took a vindictive attitude, a revengeful attitude. He could have tackled the situation in another way, by talking to them. It was known to him beforehand. He could have done that. So, that is the point which I want to underline. That is the least

[Shri Niren Ghosh.]

which Mr. Chavan or Mr. Chandra Shekhar or anybody else who talks about democracy could have done. We have information at our disposal that the bureaucrats are disobeying the State Governments. We have got instances in various State Governments and without being condemned by the Central Government they are being inspired by the Central Government and for them to talk about law and order and democracy, it is the last thing that they should do.

Now, I would come to another question. As regards their behaviour, I know what the judicial practice is. An undertrial prisoner is not bound to appear before a Magistrate. He can remain in the lock-up. He can say that he will not appear and that has happened. I myself, in one such case, said that I will not go there, that I will not be in the dock. They ultimately allowed me to remain in the lock-up. The court's lock-up is there and the proceedings went on. That is not compulsory. So, they could have finished their proceedings even when the Minister was standing there. Just in that way they cannot forcibly make them appear before any petty, arrogant officer, taking the law into their own hands. That is precisely the end of democracy. Mr. Chavan has failed in that and that is the thing that we should take note of . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: That will do.

SHRI NIREN GHOSH: . . . that all the Opposition, without exception, is treated in this way by the officials and bureaucrats who are encouraged to disobey law, disobey the State Governments and disobey anything else. They enter into a conspiracy also with them. At the same time, all the petty officials are encouraged in their arrogance. That is the situation in which we are.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That will do.

SHRI NIREN GHOSH: So, it was a bit amusing trying to get aplomb from Mr. Chavan. So, the least that can be said is that it is a sordid thing. It is an inhuman thing. It is an insulting thing. It is a think insulting to democratic behaviour, decency, decorum, law and order and everything else. That is what the Home Minister did.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajnarain. (*Interruptions*). He has a right to reply. Mr. Rajnarain, five minutes.

(*Interruptions.*)

SHRI BHUPESH GUPTA: Hon. Members are welcome to leave the House, if they like.

SHRI ABID ALI: We will sit and hear Mr. Rajnarain.

SHRI BHUPESH GUPTA: And most of all, Mr. Abid Ali.

SHRI ABID ALI: But you should keep quiet. That will be helpful.

उपसभापति : श्री राजनारायण को भी जरा सुना जाये।

श्री राजनारायण : आपने जो सही हमसे पूछा कि क्या हम जवाब देना चाहते हैं . . .

उपसभापति : आपको तो हक है।

श्री राजनारायण : ठीक है, मगर सचमुच में ऐसा ही सोच रहा था कि क्या मुझे जवाब देना चाहिये। . . .

उपसभापति : भूपेश गुप्त जी बैठे हैं तो जवाब देना चाहिये।

श्री राजनारायण : जवाब देना चाहिये? किसको देना, अपने को देना, सरकारी पक्ष को देना। आपको दूं, देश को दूं, समाज को दूं ? (*Interruptions.*) हमारे यहां एक कहावत है भोजपुरी में कि अंधों के सामने अगर कोई कहे भी, रोये भी, तो आंसू कौन देखेगा . . .

श्री हयातुल्ला अन्सारी (उत्तर प्रदेश) : क्या यह अपने लिये कह रहे हैं, राजनारायण जी ?

श्री राजनारायण : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्य अगर मजाक के मूड में हों या थके हों तो मैं जानना चाहता हूं। चह्वाण साहब चले गये इसका हमें दुःख है क्योंकि आज वह घर मंत्री हैं। अगर अपने घर की हालत को वह जान बूझ कर के नहीं संभालना चाहेंगे तो इस देश का दुर्दिन है। न तो बात हमारी सुनेंगे न तो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे क्योंकि

वह सत्ता के मद मे चूर होकर, आज अहम् वाणी चह्वाण स हब से मुझको सुनने को मिली वरना मै उनसे कहना चाहूगा कि अगर तृतीय अनुच्छेद का पाचवा खड पढेगे "राज्य मत्री के लिये पद शपथ का प्रपत्र" तो उसमे लिखा हुआ है कि "अपने कर्त्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्त करण से निर्वाहन करूगा तथा भय या पक्षपात, अहकार या द्वेष के बिना मै सब प्रकार के लोगो के प्रति सविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूगा। यह मत्री का कर्त्तव्य है। अगर मै देख रहा हू कि सविधान टूट रहा है, तो तोड रहा है कौन? दिल्ली की सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार एक मत से होकर कहती है कि भाषा विधेयक जो लोक सभा मे प्रस्तुत है वह असवैधानिक है, वह गलत है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको नही मान रही है और फिर हमारे यह लोग कहते है कि कानून तोडना था तो उत्तर प्रदेश मे तोड देते। उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मत्री सब एक राय के है। जहा तक इस विधेयक का सबध है इसलिये उत्तर प्रदेश के मत्रियो ने सविधान के अनुच्छेद के अनुसार जो प्रतिज्ञा शपथ, ली थी उसका उन्होंने दढता से पालन किया, उन्होने कोई ऐसा काम नही किया जिसकी कोई निदा करे, हा, अगर कोई अपने अस्तित्व की निंदा करना चाहता है तो कर सकता है। अगर कोई आख मूद ले, उसको कुछ दिखायी न पडे तो मै क्या करू ?

माननीया, मै प्रसंगवश आज अपने आदरणीय मित्र श्री यशवतराव चह्वाण से कुछ निवेदन करना चाहता था। मगर वह चले गए। इसीलिए मै कहना चाहता हू कि अगर हम ससद मे आए है, हम जनतत्र का नाम लेते है, तो जनतत्र की क्या अपेक्षाए है, क्या शर्ते है, उनको भी हमे समझना चाहिये। उसकी क्षमता हममे होनी चाहिये। जनतत्र मे व्यक्ति है, जनतत्र मे सरकार है, जनतत्र मे पार्टी है, जनतत्र मे देश है, जनतत्र मे समाज है। जनतत्र के ये पाच अवयव है, पाचो अलग अलग है। व्यक्ति और पार्टी एक नही, पार्टी और सरकार एक नही, सरकार और देश एक नही। जहा व्यक्ति और पार्टी एक होगी, या पार्टी और सरकार एक हो जायेगी, वह सरकार यदि अपने को राष्ट्र समझने लगेगी तो वहा जनतत्र दफनाया जा रहा है, वहा जनतत्र की हत्या हो जाती है, जम्हूरियत खत्म हो जाता है। मगर यहा हम बडे बडे लोगो के लेक्चर सुनते है, यशवतराव चह्वाण को भी सुनते है, कभी कभी मित्र मोहन धारिया को भी सुनते है तो पूछते है कि क्या हमारा अब तक का पढा लिखा गया व्यर्थ हुआ, गवा दिया गया (*Interruption*) अग्रेजी मे था इसलिए समझ नही सका, अगर राष्ट्र भाषा मे होता तो समझता।

माननीया, आपने देखा एक बलिया का छात्र जो दो विषयो का एम०ए० है, वकालत पास है—इन्द्रदेवसिह कोई पागल नही है—वह लोक सभा मे लाबी से बडल फेकता है, छपी हुई पर्चिया फेकता है तो क्यो ? हमने उससे चर्चा की, हमने उसको समझाने की कोशिश की (*Interruption*) पहले भी की, बाद मे भी की। ज्यादा टे-टे मत करिये अखबार के मालिक। मेरा सम्मानित सदस्यो से कहना है और मै निवेदन करूगा शीलभद्र याजी जी से कि जरा कृपापूर्वक समझे कि केवल दम्भ, केवल घमड, केवल छल और कपट ये किसी मुल्क को बना नही सकते है। आज हमको भी नही बना रहे है। तो उसने कहा कि क्या राजनारायण जी आप समझते है कि क्या जिस तरह से मै नोटिस छपा कर ले गया उसी तरह से मै हथगोला नही ले जा सकता था ? मै हथगोला भी ले जा सकता था मगर नही ले गया और इसलिए नही ले गया क्योकि मै समझता हू कि इस समय हमारे देश मे विदेशी सरकार के लोग नही है, देशी सरकार के लोग है। इसलिए हम राष्ट्रीय भावना से, गाधी जी की भावना से लोकसभा के सदस्य को बतलाना चाहते थे और हमने बडल ही फेका ताकि लोकसभा की गरिमा बढे, लोकसभा का महत्व बढे। (*Interruption*) आज हमारे मित्र हमे समझाना चाहते है।

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: Madam, I rise on a point of order. Something happened in the other House. Someone threw something. The House sentenced him. He is trying to justify his action. It is contempt of Lok Sabha.

THE DEPUTY CHAIRMAN : In any case that is not the subject this evening. Reply to your motion. Please do it now.

श्री राजनारायण : मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हू कि यहा पर जोकर का काम नही होना चाहिये । आज यहां पर गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही है और जो हमारे पुराने मित्र है उनको हम अच्छी तरह से जानते है क्योकि वे पहले हमारी पार्टी मे थे और आज भागकर कांग्रेस की सेवा कर रहे है । इसलिए मै श्री अवधेश्वर जी से कहूंगा कि वे जोकर का काम न करें । वह आज की गम्भीरता को समझे ।

श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह : जरा शराफत की भाष बोलिये ।

श्री राजनारायण : शराफत के माने यह होते हैं कि जो सत्य है उसको बतलाया जाय । शराफत के माने यह नही है कि सत्य को असत्य बतलाया जाय और लोभ तथा लालच मे आकर, कुर्सी की लालसा मे असत्य बातें कही जाय । यह शराफत नही है । हमने देश की आजादी के लिए कुरबानी दी है । (*Interruptions*)

श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह : हम जानते है कि आपने किस तरह की कुरबानी दी है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please wind up now.

श्री राजनारायण : मै आपके जरिये सरकार से एक ही बात कहना चाहता हू । चौहान साहब यहां पर नही है । चौहान साहब चले गये । जब चौहान साहब उठकर चले गये तो उस समय मेरी भी इच्छा थी कि मै भी उठकर चला जाऊ । मेरे मित्र श्री चन्द्र शेखर जी भी यहा पर नही हैं । मैने श्री चौहान साहब के सामने जो बातें कही उनको श्री चौहान साहब पी गये और उनका कोई जवाब नही दिया । मै कहना चाहता हू कि अदालत किसी प्रशासन के हुक्म से बधी नही है । क्या अदालत बगैर बयान लिये किसी को सजा दे सकती है । अगर हमारे चौहान साहब सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे तो क्या वहा पर भी किसी आदमी का बयान लिये बगैर उसको सजा दे दी जायेगी । इसलिए मै कहना चाहता हू कि यह एक बड़ा मसला है और हम इस पर काफी विचार कर चुके है और लड़ भी चुके है और इस पर हमारी सरकार के ऊपर डिग्री भी हो चुकी है । जब डा० राम मनोहर लोहिया 1957 मे जेल में थे तो....

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am requesting you to be very brief now. You have moved the motion. The reply should not be as rambling as that. If you want to reply to what the Home Minister has said, those points you can answer.

श्री राजनारायण : अगर आपकी राय है तो हम चले जाते है । अगर आपकी यही मन्शा है और सदन के सम्मानित सदस्य हमको नही सुनना चाहते है तो हम चले जाते है । हम अपनी भावनाओं को सदन के सामने सच्चाई के साथ व्यक्त कर रहे है । अगर यहा पर हमको बोलने नही दिया जायेगा तो हम जाने के लिए तैयार है ।

उपसभापति : यह बात नही है । आप जल्दी कीजिये ।

श्री राजनारायण : कोई शर्त है, कोई नियम है? मै यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समदीय मर्यादा है कि चौहान साहब आये और अपनी बात कहकर चले गये । मै उनसे यह जानना चाहता हू कि जब हमने मैजिस्ट्रेट से वारन्ट मागा तो क्या वह हमको क्यों नही दिखलाया गया और . .

उपसभापति : मै आप से विनंती करती हूं कि आप अपनी बातो को रिपीट न करे । जो जवाब दिया गया है उसके बारे मे आप पूछ सकते है । आपको अब जल्दी खत्म करना है और इसीलिए मै विनती करना चाहती हूं कि आप अब समाप्त कीजिये ।

श्री राजनारायण : आप इस पर विवाद न कराइये कि हमारा क्या हक है और क्या हक नही है ।

उपसभापति : मै यह कहना चाहती हूं कि विदइन लिपिट्स आप कहिये ।

श्री राजनारायण : मैं अपना प्वाइन्ट बतला रहा हूं। मैं चौहान साहब से यह पूछना चाहता हूं कि उनके पास वह कौनसी दिव्य ज्योति है कि वे सत्य कागज को भी असत्य बतला रहे हैं। यह बात मैं अपनी जानकारी से कहना चाहता हूं कि जो वे बात कह रहे हैं वह असत्य है। मैं जब जेल में वारन्ट देखने गया था तो मैं वहां के सुपरिन्टेन्डेंट की बात कह रहा था और मैं कोई बात रिपीट नहीं कर रहा हूं। जेल में मुझे वारंन्ट नहीं दिखलाया गया क्योंकि उस समय वारंन्ट में बी क्लास लिखा हुआ था। जब जेल से अदालत में वारन्ट आया तब मैजिस्ट्रेट ने उसको बदला। तो मेरा कहना यह है कि जो बात सत्य है उसको सरकार असत्य क्यों कहती है। तो इस बात के लिए एक जांच होनी चाहिये और इस सदन के सम्मानित सदस्यों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिये जो इन सब बातों पर विचार करे ताकि भविष्य में इस तरह के खतरों से बचा जाय। माननीया, मेरा इतना ही निवेदन है कि आज देश जहन्नुम में जा रहा है, रसातल में जा रहा है और यह सरकार बस देश में हिंसा को बढ़ावा दे रही है और हिंसा को बढावा देने वालों के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now there are two amendments before the House. The first amendment is . . .

SHRI BHUPESH GUPTA : On a point of order. You gave 1½ hours to this motion. You have given already two hours. Very good of you. I do not think we should proceed any further.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. I have to follow the procedure laid down. There is one amendment in the name of Mr. Bhupesh Gupta. The other is in the name of Mr. M. P. Shukla and some others.

SHRI M. P. SHUKLA : I am pressing the amendment.

SHRI BHUPESH GUPTA : The amendment is a very strange amendment.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have read this amendment.

SHRI BHUPESH GUPTA : The House should not say this kind of thing.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Shall I put your amendment first?

SHRI BHUPESH GUPTA : No, no. They say the House if of opinion. This is not an operative amendment. This is an expression of opinion, an *obiter dictum.*

THE DEPUTY CHAIRMAN : I shall take Mr. Bhupesh Gupta's amendment first. Are you pressing it?

SHRI BHUPESH GUPTA : It depends upon the other thing.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Bhupesh Gupta's amendment. The question is :

2. "That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

'and having considered the same, this House deplores the action of the police and other authorities and recommends that all officers guilty of maltreating the Ministers be removed from service forthwith, and further that the Home Minister tenders unconditional apology to the House.'"

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now I take the second amendment in the name of Mr. Shukla.

श्री राजनारायण : मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से . . .

[*At this stage the hon. Member left the House.*]

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

1. "That at the ned of the Motion, the following be added, namely :—

'and having considered the same, this House is of opinion that all Ministers should pay due regard to law and that in no case should any Minister defy the law.'"

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I shall now put the motion as amended. The question is :

[Deputy Chairman.]

"That the use of force by police against Shri Prabhu Narain Singh, Minister of Labour and Industries and Shri Ram Swarup Verma, Minister of Finance, of the State of Uttar Pradesh and some others, in the premises of the Magistrate's Court in New Delhi on the 13th December, 1967, and the incidents relating thereto, be taken into consideration, and having considered the same, this House is of opinion that all Ministers should pay due regard to law and that in no case should any Minister defy the law."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at thirty-nine minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 20th December, 1967.

GIPN—S5—2 R. S. (ND)/68—23-9-68—570.